



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1311) पटना, बुधवार, 6 अगस्त 2025

सं० प्र०2/ब्रेडा अपारंपरिक नीति-11/2008(खंड)-3239
ऊर्जा विभाग

संकल्प

10 जुलाई 2025

विषय— बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025

- प्रस्तावना**।—बिहार सरकार ("राज्य") ने नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) पर कार्य करने हेतु लक्ष्य और नीति स्तर की कार्रवाईयों के साथ अपनी तटस्थ जलवायु महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाया है। देशव्यापी आरई और नेट- जीरो भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और संकल्पों के साथ पहले से ही निर्धारित किए गए हैं। राज्य ने निम्न कार्बन विकास मार्ग की सिफारिश करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन भी किया गया है और 2070 तक नेट-जीरो हासिल करने के लिए चरणबद्ध रणनीति तैयार की है। इन संकल्पों को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए प्रक्षेप पथ में वृद्धि और प्रयासों की आवश्यकता है। राज्य का लक्ष्य भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाना और राज्य के विशिष्ट परिदृश्यों पर विचार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (लघु एवं वृहद् पैमाने की परियोजनाओं तक) की प्रविस्तारण में तेजी लाना है।
- नीति का विधायी रूपरेखा**।—यह नीति "बिहार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्द्धन नीति-2025" कहलाएगी। विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) के तहत कई उपबंध बिहार विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी) और बिहार सरकार को राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए शिथिलता प्रदान करती हैं। अधिनियम की धारा 108 राज्य को नीति रूपरेखा की तैयारी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य आयोग को निर्देश देने हेतु सूचित करती है। यह नीति पिछली "बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संवर्द्धन के लिए बिहार नीति 2017" को प्रतिस्थापित करती है।
- दायरा/क्षेत्र**।—
 - इस नीति का दायरा केवल नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं तक सीमित है, जिसमें सौर (फोटोवोल्टिक, थर्मल), जल, पवन, ऊर्जा भंडारण (बैटरी, पंप हाइड्रो), अपशिष्ट से ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन (और हरित अमोनिया), भूतापीय तकनीक और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक शामिल है जिसे एमएनआरई/ब्रेडा द्वारा मान्यता प्राप्त है।
 - इस नीति के तहत लाभ उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनके लिए पीपीए पर हस्ताक्षर इस नीति से पहले ही किए जा चुके हैं।

4. संचालन अवधि I—

(क) यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी तथा नई नीति जारी होने तक लागू रहेगी।

(ख) परिचालन अवधि के दौरान चालू की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, जो कि इस नीति के तहत घोषित प्रोत्साहनों के लिए, चालू होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए या ऊर्जा परियोजना के जीवनकाल के लिए, जो भी पहले हो मान्य होंगी। यदि किसी विवरण के लिए नीति में विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन का उल्लेख किया गया है, तो उसकी प्रयोज्यता के लिए उस पर विचार किया जाएगा।

5. नोडल एजेंसी I—

(क) बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) इस खंड में परिभाषित आरई परियोजनाओं के अलावे सभी आरई परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य नोडल एजेंसी होगी, बिहार राज्य जलविद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड (बीएचपीसी) राज्य में हाइड्रो पावर परियोजनाओं और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीजीसीएल) पंप स्टोरेज परियोजनाओं के विकास के लिए राज्य में नोडल एजेंसी होगी। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड फ्लोटिंग/ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट्स और एक(1) मेगावाट से ऊपर के बायोमास विद्युत् परियोजनाओं और राज्यभर में नहरों और बांधों के साथ सभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी।

(ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार इस नीति में परिभाषित विभिन्न आरई प्रौद्योगिकियों के लिए राज्य के किसी भी सरकारी निकाय को नोडल/कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर सकती है।

6. नीति के लक्ष्य (लागू होने की शर्तें) I—

(क) नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में फैले विविध परियोजना को बढ़ावा देना है। क्षमता और अनुप्रयोग के आधार पर चार व्यापक परियोजना श्रेणियाँ हैं, उपयोगिता-स्तरीय आरई, वितरित आरई, ऑफ-ग्रिड आरई और ऊर्जा भंडारण।

(ख) प्रत्येक प्रौद्योगिकी को इस नीति में परिभाषित स्थान/तंत्र के आधार पर आगे विभाजित किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रौद्योगिकीवार लक्ष्य इस प्रकार हैं:—

प्रौद्योगिकी श्रेणियाँ		वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	संचयी लक्ष्य
संक्षिप्त विवरण		25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	
आरई लक्ष्य (एमडब्लू)		3,297	4,134	4,854	5,481	6,202	23,968
ऊर्जा भंडारण लक्ष्य (एमडब्लूएच)		600	700	1,300	1,400	2,100	6,100
प्रौद्योगिकी श्रेणियाँ और अनुप्रयोग क्षेत्र	परियोजना क्षमता	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष	संचयी लक्ष्य
		25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	
1. उपयोगिता-स्तरीय आरई		3,030	3,767	4,382	4,932	5,542	21,653
1.1.सोलर पार्क	>=20 एमडब्लू	50	100	200	250	300	900
1.2. भू स्थापित सोलर	>=0.5एमडब्लू	2,760	3,322	3,722	4,122	4,522	18,448
1.3. उच्च सोलर परियोजना (तालाबों के ऊपर)	>=0.5एमडब्लू	50	60	80	90	120	400
1.4.तरणशील/प्लावी सौर (फ्लोटिंग सोलर)	>=0.5एमडब्लू	50	75	100	120	150	495
1.5.कृषि वोल्टेइक सोलर	>=0.5एमडब्लू	50	70	80	90	100	390
1.6.ऊपरी नहर/नहर तट सोलर	>=0.5एमडब्लू	20	30	50	70	80	250
1.7. भू तापीय पावर संयंत्र	>=5.0एमडब्लू	0	0	10	10	30	50
1.8. जैवईंधन विद्युत् संयंत्र	>=0.5एमडब्लू	30	60	70	80	100	340
1.9.अपशिष्ट ऊर्जा	>=0.5एमडब्लू	10	20	30	50	70	180
1.10.पवन विद्युत् संयंत्र	>=0.5एमडब्लू	10	30	40	50	70	200
2. वितरित आरई (ऑन-ग्रिड)		232	312	407	467	557	1,975
2.1 रुफटॉप सोलर	>=1.0 केडब्लू	50	70	100	120	160	500
2.2 लघु पनबिजली विद्युत् संयंत्र	< 25 एमडब्लू	20	30	65	65	70	250

2.3 अन्य सौर ऊर्जा संयंत्र (तरणशील/प्लावी/भूस्थापित /ऊपरी नहर/नहर तट इत्यादि)	< 0.5 एम्डब्लू	30	40	50	70	80	270
2.4 सौर कृषि (कृषि वोल्टेइक, कृषि फीडर, पंप का सोलरइजेशन आदि)	< 0.5 एम्डब्लू	50	80	100	120	150	500
2.5 जैवईंधन विद्युत् संयंत्र	< 0.5 एम्डब्लू	72	72	72	72	72	360
2.6 अपशिष्ट ऊर्जा	< 0.5 एम्डब्लू	5	10	10	10	10	45
2.7 पवन विद्युत् संयंत्र	< 0.5 एम्डब्लू	5	10	10	10	15	50
3. ऑफ ग्रिड आरई		35	55	65	82	103	340
3.1 मिनी और माइक्रोग्रिड	>=1.0 केडब्लू	5	10	10	12	13	50
3.2 डीआरई (आजीविका के लिए सौर ऊर्जा)	>=1.0 केडब्लू	5	15	20	30	40	110
3.3 स्टैंडअलोन सोलर पंप	>=1.0 केडब्लू	25	30	35	40	50	180
4. ऊर्जा भंडारण (एम्डब्लूएच)		600	700	1,300	1,400	2,100	6,100
4.1 पंप भंडारण	>=10 एम्डब्लूएच	100	200	300	400	600	1,600
4.2 ग्रिड लेवल बैटरी भंडारण	>=1 एम्डब्लूएच	500	500	1,000	1,000	1,500	4,500

नोट I- उपरोक्त लक्ष्य समयबद्ध हैं, एसएलएससी परिकल्पित लक्ष्य के विरुद्ध राज्य में प्रगति की निगरानी के लिए समय-समय पर समीक्षा सुनिश्चित करेगा। योजना का उद्देश्य समयबद्ध प्रावधान में केवल वित्तीय वर्ष 25-26 और वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए छूट दी जा सकती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए किसी प्रौद्योगिकी क्षेत्र के तहत लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, तो उसे अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ बदला जा सकता है, जिससे उस वित्तीय वर्ष के लिए कुल लक्ष्य समान रहेगा।

7. नीतिगत उद्देश्य I-

- (क) राज्य के गैर-परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और ऊर्जा भंडारण क्षमता के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 23.968 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 6.1 गीगावाट प्रति घंटे (जीडब्लूएच) भंडारण करना।
- (ख) नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण में नई और कुशल तकनीक को बढ़ावा देना।
- (ग) नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिए उत्साहवर्धक वातावरण और पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
- (घ) नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और उत्थान के लिए अधिकतम हितधारक भागीदारी और कार्रवाई करना।
- (ङ) राज्य में नवाचार और विकास अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सुविधा पर विशेष जोर देना।
- (च) नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के साथ राज्य में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना।
- (छ) नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के लिए जागरूकता, कौशल और क्षमता विकास को बढ़ाना।

8. पात्र इकाइयाँ I-

- (क) सभी पंजीकृत कंपनियाँ/फर्म/सहकारी संस्थाएँ/सोसाइटी, स्टार्ट-अप, सरकारी संस्थाएँ, डिस्कॉम के उपभोक्ता और व्यक्तिगत लोग राज्य के अंदर आरई परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए बिजली की बिक्री/स्व-उपयोग के अनुसार लागू नियमों के तहत पात्र होंगी।
- (ख) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करने की इच्छुक संस्थाओं को नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नीति में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) को अपेक्षित विवरण के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) इकाइयाँ/कार्यकारी एजेंसी/विकासकर्ता विभिन्न मॉडल यथा रेस्को/कैपेक्स/हाइब्रिड के तहत आरई परियोजनाएँ स्थापित करने हेतु पात्र होंगी।

9. प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र और विकास के प्रावधान I- यह नीति विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा के संभावित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के उपयोग को सुनिश्चित करती है, जिसके लिए निम्नलिखित प्रावधान है :-

9.1 सौर पीवी परियोजनाएँ I- जल-जीवन-हरियाली मिशन, हाईब्रिड एन्युइटी मॉडल (हैम), पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाएँ हैं।

इस प्रौद्योगिकी/योजना के अंतर्गत, विभिन्न क्षमताओं की सौर पीवी परियोजनाएँ विकसित की जाएँगी, ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिए विस्तृत प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

9.1.1 रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टेइक (पीवी) परियोजनाएँ |—राज्य के सभी बिजली उपभोक्ता रूफटॉप सौर परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए पात्र हैं, राज्य में भवनों के छतों पर रूफटॉप सौर परियोजनाओं को अपनाने हेतु सुनिश्चित करने के लिए तथा ऐसी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए दिशा निदेश विकसित किये जाएंगे। राज्य भर में सभी इमारतों पर रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

(क) 1000 केडब्लूपी क्षमता तक के किसी भी सौर संयंत्र (भूमि पर स्थापित/जलाशय) को, चाहे वह विद्युत उपभोक्ता के परिसर में छत पर स्थापित सौर संयंत्र के साथ एकीकृत हो अथवा नहीं, इस श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा।

क्र० सं०	मापदंड	प्रावधान का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	विद्युत उपभोक्ताओं की संपत्ति में 1000 केडब्लूपी तक।
2	तृतीय पक्ष बिक्री	अनुमति दी गई है।
3	लागू टैरिफ	बीईआरसी द्वारा अनुमोदित/परस्पर सहमत (तृतीय पक्ष बिक्री के लिए)
4	मीटरिंग व्यवस्था	नेट मीटरिंग/आभासी नेट मीटरिंग/सकल मीटरिंग
5	विकास के प्रकार	कैपेक्स/आरईएससीओ/हाईब्रिड आरईएससीओ
6	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)
7	मॉड्यूल संरचना की ऊँचाई	मॉड्यूल संरचना की ऊँचाई, जिसमें सौर पैनल लगे हों, इमारत की कुल ऊँचाई में गिनती नहीं की जाएगी, जैसे कि भवनों की निर्धारित उपविधियों द्वारा अनुज्ञप्त है। मौजूदा या नए भवनों में सौर संयंत्रों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए किसी अतिरिक्त प्रणाली सहित सौर संयंत्रों को स्थापित करने के लिए सम्बंधित नगर निगम या शहरी विकास एवं आवास विकास विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

9.1.2 सौर पीवी परियोजनाएँ (रूफटॉप सौर परियोजना के अतिरिक्त) |—

(क) सौर परियोजनाएँ (रूफटॉप सौर परियोजना के अतिरिक्त) ग्रिड से जुड़ी परियोजनाएँ हैं, जिनमें भूमि पर स्थापित सोलर, तरणशील/प्लावीसोलर, नहर पर/नहर के किनारे सोलर, कृषिगत भूमि पर सोलर, तालाबों के ऊपर ऊँची संरचना पर सोलर परियोजनाएँ या सौर ऊर्जा का कोई अन्य अभिनव अनुप्रयोग शामिल हैं।

क्र० सं०	मापदंड	प्रावधान का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	कोई सीमा नहीं, सीटीयू/एसटीयू/डिस्कॉम प्रविष्टि अनुमोदन के अधीन
2	तृतीय पक्ष बिक्री	अनुमति दी गई है।
3	लागू टैरिफ	i. डिस्कॉम को विद्युत बिक्री के लिए फीड इन टैरिफ/प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए सीलिंग टैरिफ बीईआरसी द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ii. तृतीय पक्ष बिक्री या कैप्टिव उपयोग परियोजना डेवलपर्स/ऑनर्स और खरीदार के बीच परस्पर सहमत दरों पर पीपीए निष्पादित किया जायगा।
4	मीटरिंग व्यवस्था	सकल मीटरिंग
5	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

9.1.3 सौर पी.वी. परियोजनाओं का विकास I—विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सौर पी.वी. परियोजनाओं का विकास निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा

क्र० सं०	श्रेणी	प्रावधान का विवरण
1	सोलर पीवी-भूमि पर स्थापित (सोलर पार्क/अन्य भूमि पर स्थापित सोलर संयंत्र) बीईएसएस के सहित/रहित	<p>i. राज्य के जमीन पर अधिष्ठापित सौर पार्को एवं अन्य भूमि पर स्थापित सोलर पीवी संयंत्रों के विकास को प्रोत्साहित करेगा।</p> <p>ii. बिहार की भूगोल को ध्यान में रखते हुए सौर पार्क का न्यूनतम आकार 20 मेगावाट होगा।</p> <p>iii. अन्य भूमि पर स्थापित सोलर पीवी परियोजनाओं का आकार लक्ष्यों के साथ परिभाषित परियोजना क्षमता के अनुरूप होगा।</p>
2	सौर पीवी – भूमि पर स्थापित (तालाबों पर उच्च संरचना वाले परियोजना)	<p>i. राज्य अपने मूल्यवान भूमि संसाधन का उपयोग करने के लिए तालाबों पर उच्च संरचना के रूप में सोलर पावर परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।</p> <p>ii. एसएनए राज्य भर में इस श्रेणी के तहत सौर विद्युत संयंत्र के विकास के लिए विभिन्न जल निकायों के व्यवहार्यता के आकलन / निर्धारण तथा संभावित मानचित्रण के कार्यान्वयन / निष्पादन के लिए राज्य के सम्बंधित विभागों से समन्वय करेगा।</p>
3	तरणशील/प्लावी सोलर पीवी संयंत्र	<p>i. राज्य सभी प्रकार के झीलों, जलाशयों, तालाबों, बांधों आदि पर सौर विद्युत् संयंत्र के विकास को प्रोत्साहित करेगा।</p> <p>ii. एसएनए राज्य भर में इस श्रेणी के तहत सौर विद्युत संयंत्र के विकास के लिए विभिन्न जल निकायों के व्यवहार्यता के आकलन / निर्धारण तथा संभावित मानचित्रण के कार्यान्वयन / निष्पादन के लिए राज्य के सम्बंधित विभागों से समन्वय करेगा।</p> <p>iii एसएनए जलाशयों के लिए जल पट्टा समझौते में आवश्यक अनुमोदन लेने में सहयोग करेगी और पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव विश्लेषण का आयोजन करने के लिए बोली लगाएगा।</p>
4	नहर के ऊपर/किनारे पर सौर ऊर्जा संयंत्र	<p>i. नहर के ऊपर और नहरों के किनारों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास को राज्य बढ़ावा देगा।</p> <p>ii एसएनए सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास के लिए राज्य के विभिन्न नहरों के ऊपर/किनारों पर की व्यवहार्यता का आकलन और संभावित मानचित्रण करने के लिए राज्य के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करेगा। एसएनए इस श्रेणी के तहत सौर संयंत्रों के विकास के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा।</p>
5	भवनों के छत पर (रूफटॉप) सौर पीवी संयंत्र	<p>रूफटॉप सौर पीवी संयंत्र को तीन प्रणाली में लागू किया जा सकता है: कैपेक्स (पूँजीशोध) मॉडल, रेस्को (नवीन ऊर्जा सेवा कंपनी) मॉडल, और हाईब्रिड रेस्को मॉडल।</p> <p>i. कैपेक्स मॉडल: इस मॉडल में उपभोक्ता सौर प्रणाली को 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान द्वारा क्रय करता है या उक्त प्रणाली को बैंक या</p>

क्र० सं०	श्रेणी	प्रावधान का विवरण
		<p>किसी ऋण देनेवाली संस्था से वित्तपोषित करता है।</p> <p>ii. रेस्को मॉडल: इस मॉडल के अंतर्गत, एक रेस्को डेवलपर (विकासकर्ता) भवनों के छत पर अधिष्ठापित सौर पावर संयंत्र को वित्तीय रूप से पोषण, संचालन और रखरखाव करता है। डेवलपर रूफटॉप मालिक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। रूफटॉप मालिक उस उत्पन्न विद्युत का उपभोग कर सकते हैं, जिसके लिए वे समझौते की अवधि के दौरान रेस्को डेवलपर को मासिक आधार पर पूर्व निर्धारित टैरिफ भुगतान करना होगा।</p> <p>iii. हाईब्रिड रेस्को मॉडल: इस संरचना के अंतर्गत, रेस्को डेवलपर सोलर पावर प्लाट लगाने के लिए उपभोक्ता के छत को लीज (पट्टे) पर लेती है, और उत्पादित विद्युत को डिस्कॉम को सीधे बेचता है, यानी, पीपीए डेवलपर और डिस्कॉम के बीच हस्ताक्षर होती है। उपभोक्ता भी डिस्कॉम के साथ एक नेट-मीटरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करता है।</p>
6	कृषि क्षेत्र के लिए सौर पीवी संयंत्र	<p>i. इस श्रेणी के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिसका उद्देश्य खेती और अन्य सम्बंधित गतिविधियों के लिए मूल्यवान भूमि का दक्षतापूर्वक उपयोग करना है, साथ ही राज्य में टिकाऊ कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि सम्बंधित गतिविधियों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने हेतु विद्युत् उत्पादन की सुविधा प्रदान करना है।</p> <p>ii. इस श्रेणी के अंतर्गत, कृषि वोल्टेइक, उच्च संरचना वाले सौर परियोजना, सौर पंप, कृषि फीडर्स की सौरीकरण और किसानों के आय को बढ़ाने के लिए कोई अन्य परियोजना भी विकसित की जाएगी। इसे सुनिश्चित किया जाएगा कि सौर विद्युत् संयंत्र के स्थापना खेती की उत्पादकता से समझौता नहीं किया जाएगा।</p> <p>iii. राज्य केंद्र सरकार/ एमएनआरई/एमओपी/बह/द्विपक्षीय निकायों के साथ सहयोग से राज्य के किसानों के लिए परियोजना के विकास को सुविधा प्रदान करने हेतु उपाय/साधन अधिकृत करेगा।</p> <p>iv. ब्रेडा राज्य सब्सिडी, अनुदान और/या प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ सुविधा प्रदान करेगा। इस योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश को ब्रेडा द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से विकसित किए जाएंगे। राज्य किसानों को लाभ देने के लिए ग्रिड कनेक्टेड सौर पंप सेट के लिए प्रोत्साहित करेगा।</p>

क्र० सं०	श्रेणी	प्रावधान का विवरण
		<p>v. किसानों के लिए सौर विद्युत् परियोजनाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में विकसित किए जाएँगे:</p> <p>क. भूमि और जल निकायों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएँ ।— इस श्रेणी के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र के विकास का उद्देश्य अतिरिक्त सौर विद्युत् की बिक्री के माध्यम से एवं अन्य सम्बंधित गतिविधियों के लिए भूमि का सतत उपयोग करना है तथा विद्युत् उत्पादन के साथ-साथ कृषि -मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है इस श्रेणी में कृषि वोल्टेइक विद्युत् संयंत्र, कृषि फीडर्स के सौरीकरण इत्यादि शामिल होंगे। यह नीति कृषि वोल्टेइक की क्षमता और किसानों और अन्य ग्रामीण समुदाय को उससे होने वाले लाभों को दिखाने का उद्देश्य रखती है। ब्रेडा प्रणाली प्रदर्शन और फसल उत्पादन पर अधिक साक्ष्य एकत्रित करके राज्य में विभिन्न प्रकार के कृषि वोल्टेइक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहित करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन के समुचित वोल्टेज स्तर पर विद्युत् आपूर्ति के लिए वितरण उपकेन्द्र से निर्गत एकल या एकाधिक कृषि फीडर्स हेतु विद्युत् आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि फीडर्स के सौरीकरण हेतु सौर संयंत्र स्थापित किये जाएँगे तथा इस श्रेणी में एक स्थान पर व्यक्तिगत सौर विद्युत् संयंत्र की अधिकतम आकार 5 मेगावाट से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>ख. स्वतंत्र सौर पंप ।— इस श्रेणी के अंतर्गत, राज्य के व्यक्तिगत किसानों को समर्थन प्रदान किया जाएगा ताकि वे ऑफ ग्रीड क्षेत्रों में जहाँ विद्युत् आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, डीजल कृषि पंप/सिंचाई प्रणालियों के स्थान पर 10 एचपी तक क्षमता वाले स्वतंत्र सौर कृषि पंप स्थापित कर सकें।</p> <p>ग. पंपों का सौरीकरण ।— इस श्रेणी के अंतर्गत, व्यक्तिगत किसानों को विद्युत् कृषि पंपों को सौरीकृत करने के लिए समर्थन प्रदान किया जा रहा है। डीजल पंप के मालिकों को भी विद्युत् पंप में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को उचित क्षमता वाले सौर पैनल प्रदान किए जाएँगे ताकि उत्पन्न सौर विद्युत् का उपयोग सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकें और अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बेच सकें।</p>

क्र० सं०	श्रेणी	प्रावधान का विवरण
7	विकेंद्रीकृत वितरित नवीकरणीय उत्पादन संयंत्र	<p>i. डीआरई आजीविका अनुप्रयोग I— डीआरई आजीविका अनुप्रयोग एक ऐसे आरई स्रोतों से संचालित अनुप्रयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका प्रयोग सौर ड्रायर, सौर संचालित कोल्ड स्टोरेज/प्रशीतक, सौर संचालित ईवी चार्जिंग सुविधा, सौर चरखा आदि होता है, जो आजीविका अर्जन में मदद करते हैं। एमएनआरई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सौर ऊर्जा के विकेंद्रीकृत और ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों को आजीविका संभावनाओं के लिए अवसर प्रदान करेगा। एसएनए राज्य के लिए केंद्रित दिशानिर्देश तैयार करेगा जो डीआरई अनुप्रयोगों के माध्यम से आजीविका को बढ़ावा देने के लिए होगा। एसएनए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ समन्वय करेगा और डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा। वैकल्पिक रूप से, एसएनए को राज्य में डीआरई आजीविका अनुप्रयोगों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।</p> <p>ii. सौर ऊर्जा से संचालित मिनी-माइक्रो ग्रिड I—सौर ऊर्जा से संचालित मिनी-माइक्रो ग्रिड विकसित किए जाएंगे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ बिजली की अस्थिरता है/विद्युत् आपूर्ति नहीं है/वितरण की क्षमता को बढ़ाने के लिए विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को सौरीकरण करने और सौर ऊर्जा का उत्पादक उपयोग बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य इन परियोजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए एक अलग मिनी और माइक्रो ग्रिड नीति या दिशा-निर्देश तैयार करेगा।</p> <p>iii. गाँवों/शहरों/जिलों के हरितीकरण I—राज्य क्षेत्र पर उसकी साध्यता के अनुसार विभिन्न आरई संभाव्य प्रौद्योगिकियों के साथ गाँवों/शहरों/जिलों की शत प्रतिशत माँगों को पूरा करने के प्रावधान के साथ हरितीकरण के विकास को बढ़ावा देगा।</p> <p>iv. अन्य ऑफ-ग्रिड अनुप्रयोग I— राज्य एमएनआरई और राज्य द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत् और तापीय ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों को बढ़ावा देगा।</p>

क्र० सं०	श्रेणी	प्रावधान का विवरण
		राज्य अपने स्वयं के वितरण प्रणाली/स्थानीय सौर ग्रिड के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देगा। राज्य दूरदराज के गांवों/बस्तियों (टोलों) या बिजली की खराब विश्वसनीयता वाले क्षेत्रों में घरों को बिजली प्रदान करने के लिए एकल सौर प्रणाली की स्थापना को भी बढ़ावा देगा। एसएनए एकल सौर संयंत्रों, सौर गृह प्रणालियों, सौर स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली, सौर मिड-मास्ट लाइट आदि जैसे ऑफ ग्रिड सौर पीवी विद्युत् संयंत्रों की अधिष्ठापन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और राज्य सरकार के अनुमोदन से उन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऑफ ग्रिड सौर प्रणालियों को लागू करने के लिए समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई करेगा।

9.2 जैव ऊर्जा/अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएँ ।-

क. राज्य समय-समय पर संशोधित एमएनआरई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऊर्जा के साथ-साथ गैर-ऊर्जा अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बायोमास/बायोगैस परियोजनाओं/जैव सीएनजी/जैव खाद/जैव ईंधन/जैव फूस/अपशिष्ट से ऊर्जा आदि की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।

क्र० सं०	मापदण्ड	प्रावधानों का पैरामीटर विवरण
1	संयंत्र की क्षमता	सीटीयू/एसटीयू/डिस्कॉम अनुमोदन और प्रति वर्ष जैव-अपशिष्ट उपलब्धता के अधीन कोई सीमा नहीं।
2	तीसरे पक्ष की बिक्री	अनुमति है
3	लागू टैरिफ	बीईआरसी द्वारा अनुमोदित है
4	मीटरिंग व्यवस्था	1 मेगावाट तक नेट मीटरिंग 1 मेगावाट से ऊपर सकल मीटरिंग
5	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

ख. राज्य नीचे उल्लिखित विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए "राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (2021-2026)" (भविष्य में संशोधनों के अधीन) को अपनाएगा :-

- i. अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम) बड़े बायोगैस, जैव सीएनजी और बिजली संयंत्रों (एमएसडब्ल्यू से बिजली परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन के लिए।
- ii. बायोमास कार्यक्रम (ब्रिकेट और पैलेट के निर्माण का समर्थन और उद्योगों में बायोमास (गन्ने के अतिरिक्त) आधारित समकूलन के अभिवृद्धि की योजना) विद्युत् उत्पादन एवं गैर-खाई आधारित विद्युत् उत्पादन परियोजनाओं में उपभोग के लिए पैलेट और ब्रिकेट की स्थापना को समर्थन देगा।
- iii. बायोगैस कार्यक्रम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और मध्यम आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का समर्थन।

9.3 लघु जल विद्युत परियोजनाएँ ।—

क. राज्य जल विद्युत उत्पादन, जो बीएचपीसी के मंजूरी के अधीन होंगी, के लिए लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

क्र०सं०	मापदण्ड	प्रावधानों का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	बीएचपीसी की मंजूरी और सीटीयू/ एसटीयू/ डिस्कॉम प्रवेश मंजूरी के अधीन होगी।
2	लागू टैरिफ	i. डिस्कॉम को विद्युत बेचने के लिए।—फीड इन टैरिफ/प्रतिस्पर्धी बोली के लिए सीलिंग टैरिफ (स्थिर या स्थिर और परिवर्तनशील लागत दोनों मिलाकर हो सकता है) बीईआरसी द्वारा परिभाषित होगा। ii. तृतीय पक्ष विक्रय या स्वामित्व प्रयोग ।—पीपीए परियोजना विकासकर्ता/ऑनर (स्वामी) और खरीदार के बीच क्रियान्वित किया जाएगा।
3	विकास विधि	बीएचपीसी द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के तहत
4	विद्युत की बिक्री	अनुबंध के अनुसार यदि डिस्कॉम के खरीदारी के बाद भी अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो, तो विकासकर्ता को राज्य के अंदर या बाहर विद्युत बेचने की अनुमति होगी।
5	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

ख. लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए "कोई निःशुल्क बिजली" या "स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)" लागू नहीं होगी।

9.4 पवन ऊर्जा परियोजनाएँ ।—

क. राज्य पवन ऊर्जा की बड़ी संभावनाओं का दोहन करने के लिए पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

क्र०सं०	मापदण्ड	प्रावधानों का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	सीटीयू/ एसटीयू/ डिस्कॉम प्रवेश मंजूरी के अधीन कोई सीमा नहीं है।
2	तृतीय पक्ष विक्रय	अनुमति है।
3	लागू टैरिफ	i. डिस्कॉम को विद्युत बेचने के लिए ।— फीड इन टैरिफ/प्रतिस्पर्धी बोली के लिए सीलिंग टैरिफ बीईआरसी द्वारा परिभाषित होगा। ii. तृतीय पक्ष विक्रय या स्वामित्व प्रयोग ।— पीपीए परियोजना विकासकर्ता/ऑनर (स्वामी) और खरीदार के बीच क्रियान्वित किया जाएगा।
4	मीटरिंग व्यवस्था	सकल मीटरिंग
5	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

9.5 पम्प भंडारण परियोजनाएँ ।—

क. राज्य समय-समय पर विद्युत् मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली अधिकतम विद्युत् आपूर्ति की आवश्यकताओं, ऊर्जा भंडारण दायित्व और अन्य अनुपालन की पूर्ति के लिए पम्प भंडारण परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

क्र०सं०	मापदण्ड	प्रावधानों का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	बीएसपीजीसीएल/बीएचपीसी,सीटीयू/ एसटीयू/ डिस्कॉम प्रवेश मंजूरी के अधीन है।
2	लागू टैरिफ	बीईआरसी द्वारा अनुमोदित (अधिकतम टैरिफ के साथ)
3	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

ख. राज्य में ऐसी परियोजनाओं के विकास के लिए विद्युत मंत्रालय/एमएनआरई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को अपनाया जाएगा। एसएनए ऐसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य केंद्रित दिशा-निर्देश भी तैयार करेगा।

- 9.6 हाईब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ (सौर/पवन+अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ) I—
क. राज्य सौर/पवन+अन्य नवीकरणीय सौर विद्युत् उत्पादन प्रौद्योगिकियों से युक्त हाईब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

क्र० सं०	मापदण्ड	प्रावधानों का विवरण
1	संयंत्र क्षमता	सीटीयू/एसटीयू/डिस्कॉम अनुमोदन के अधीन कोई सीमा नहीं।
2	तृतीय पक्ष विक्रय	अनुमति है।
3	लागू टैरिफ	i. डिस्कॉम को विद्युत बेचने के लिए I— फीड इन टैरिफ/प्रतिस्पर्धी बोली के लिए सीलिंग टैरिफ बीईआरसी द्वारा परिभाषित होगा। ii. तृतीय पक्ष विक्रय या स्वामित्व प्रयोग I— पीपीए परियोजना विकासकर्ता/ऑनर (स्वामी) और खरीदार के बीच क्रियान्वित किया जाएगा।
4	मीटरिंग व्यवस्था	सकल मीटरिंग
5	ऊर्जा लेखा	प्रति बिलिंग चक्र (बीईआरसी द्वारा परिभाषित)

राज्य सोलर/पवन सहित अन्य नवीकरणीय सौर विद्युत् उत्पादन प्रौद्योगिकियों से युक्त हाईब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा।

- 9.7 अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ I—

क. राज्य निम्नलिखित रूप में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करेगा:

क्र० सं०	नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ	प्रावधानों का विवरण
1	सौर तापीय परियोजनाएँ	i. राज्य, एमएनआरई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सौर तापीय विद्युत परियोजनाओं के विकास और औद्योगिक ताप आवश्यकताओं के लिए सौर तापीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा। ii. ब्रेडा आवासीय सहित साध्य क्षेत्रों में (सौर जल हीटर/तापक, सौर कुकर, इन-डोर पवन तापन आदि) वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र (सौर शीतलन, सौर पवन ड्रायर, वृहत स्तर पर सौर जल तापन, सौर कंसंट्रेटर प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सौर कुकिंग, हीटिंग आदि) में इसके अनुप्रयोग एवं प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
2	ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएँ	i. राज्य औद्योगिक गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों के विकार्षन, आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी, स्थानीय विनिर्माण साधनों का विकास तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ संगत रूप में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना को समर्थन करेगा। ii. राज्य केंद्रीय एजेंसी के परामर्श से उभरते अंत उपयोग क्षेत्रों और उत्पादन पथ क्रमों में पायलट परियोजनाओं के विकास के लिए प्रावधान तैयार करेगा।
3	भूतापीय परियोजनाएँ	i. चिन्हित स्थलों एवं संभावनाओं के अनुसार परामर्श से राज्य भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना को समर्थन देगा। ii. राज्य केंद्रीय एजेंसी के परामर्श से उभरते अंतउपयोग क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के विकास और राज्य ऊर्जा मिश्रण में भूतापीय ऊर्जा के प्रवेश को बढ़ाने के लिए उत्पादन पथों हेतु प्रावधान तैयार करेगा।

4	अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ	राज्य/केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर परिभाषित किसी अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही केंद्रित विकल्पों की खोज के लिए पायलट परियोजना विकसित करने हेतु साधनों को तैयार करेगा।
---	--------------------------------	--

10. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की उपयोगी आयु निम्नलिखित है:

क्र०सं०	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना	उपयोगी आयु (वर्ष)
1	पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना	25
2	रैंकिन चक्र प्रौद्योगिकी के साथ बायोमास विद्युत परियोजना	25
3	गैर-जीवाश्म ईंधन सह-उत्पादन परियोजना	25
4	लघु जल संयंत्र परियोजना	40
5	पंप भंडारण परियोजना	40
6	नगरपालिका टोस अपशिष्ट (एम एस डब्लू)/अपशिष्ट व्युत्पन्न ईंधन (आर डी एफ) आधारित विद्युत परियोजना	20
7	सौर पीवी/सौर तापीय विद्युत परियोजना	25
8	भूतापीय विद्युत परियोजनाएँ	20
9	बायोगैस आधारित विद्युत परियोजना	25
10	बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत परियोजना	25

11. **प्रोत्साहन**—राज्य में आरई क्षमता वृद्धि को सक्षम करने के लिए, इस नीति की संचालन अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पात्र इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।

11.1 **उपयोगिता**—इस नीति की परिचालन अवधि में राज्य में आरम्भ की गई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ तथा उन परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित पीपीए परियोजना के उपयोगी जीवन की अवधि के लिए या परियोजनाओं के आरम्भ की तिथि से किसी परिभाषित अवधि के लिए इस नीति के अंतर्गत घोषित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।

11.2 **विद्युत शुल्क**—राज्य के अंतर्गत नीति अवधि के दौरान स्थापित आरई परियोजनाओं से बिजली की खपत पर कैप्टिव/ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। ऐसा विद्युत शुल्क छूट संबंधित उपयोगिता से प्रतिपूर्ति की जाएगी और परियोजना के चालू होने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए ऐसी परियोजनाओं से बिजली की खपत पर लागू होगी।

11.3 **राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस जी एस टी)**—नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों के लिए एसजीएसटी के भुगतान से 100 प्रतिशत छूट वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी। लागू राशि विभाग से प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसा जीएसटी परिषद की अनुशंसा पर होगा।

11.4 **ओपन एक्सेस**—परियोजना की पूरी अवधि या 25 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अंतर-राज्य ओपन एक्सेस की स्वीकृति दी जाएगी। डिस्कॉम / ट्रांसकोम की ओर से आरई डेवलपर्स को 30 दिनों के अंदर कोई प्रतिक्रिया या सूचना न मिलने पर, ऐसे आवेदन को ओपन एक्सेस माना जाएगा। इसके लिए लागू शुल्क बीईआरसी विनियमों द्वारा शासित होंगे।

11.5 **स्टाम्प शुल्क**—बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिकारिता से बाहर की औद्योगिक भूमि/शेड के पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण पर लगाए गए स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति सभी नई इकाइयों को इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद उपलब्ध होगी। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की यह प्रतिपूर्ति केवल पहली बार दी जाएगी और पट्टे/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 9 (1) के तहत और राज्य राजपत्र में पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 78 के तहत नई इकाइयों को उपलब्ध होगा। यदि कोई मौजूदा इकाई नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करती है या नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र का विस्तार करती है, तो केवल नए विस्तारित नवीकरणीय क्षमता वाले स्थापित संयंत्र को नई इकाई के रूप में माना जायगा।

11.6 **निःशुल्क विद्युत और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ)**— इस नीति की परिचालन अवधि के दौरान राज्य के भीतर लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए कोई निःशुल्क विद्युत या स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) लागू नहीं होगी।

- 11.7 भूमि रूपांतरण शुल्क।—इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद कृषि भूमि के रूपांतरण के लिए लगाए गए भूमि रूपांतरण शुल्क/भूमि उपयोग शुल्क में परिवर्तन की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010 के अनुरूप होगा।
- 11.8 संचरण और व्हीलिंग शुल्क में छूट।—परियोजना के चालू होने की तारीख से 15 वर्षों की अवधि के लिए राज्य के अंदर विद्युत् खपत के लिए विकसित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर संचरण और व्हीलिंग शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट होगी। भंडारण प्रणालियों के साथ ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, जो राज्य के अंदर विद्युत् बेच रही हैं, उन्हें परियोजना के चालू होने की तारीख से 20 वर्षों की अवधि के लिए संचरण और व्हीलिंग शुल्क पर उच्च छूट प्राप्त होगी और यह केवल विद्युत् मंत्रालय, भारत सरकार के अनुरूप अंतर-राज्यीय (इंट्रास्टेट) स्तर पर लागू होगा। बोली के माध्यम से विकसित परियोजनाओं के लिए बोली दस्तावेज़ में छूट का विवरण भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा। बीईआरसी विनियमों के अनुसार संचरण और वितरण हानियाँ समय-समय पर लागू होंगी।
- 11.9 एस टी यू शुल्क।—इस नीति की प्रचालन अवधि के दौरान राज्य में चालू की गई आरई परियोजनाओं से बिजली की खपत पर कैप्टिव/ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को एसटीयू शुल्क पर छूट बीईआरसी नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी।
- 11.10 बैंकिंग शुल्क।— सभी कैप्टिव और ओपन एक्सेस/निर्धारित उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष के 12 महीनों के दौरान 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा की बैंकिंग की अनुमति दी जाएगी। बैंकिंग शुल्क और अन्य शर्तें समय-समय पर संशोधित बीईआरसी विनियमों के अनुसार इस नीति की प्रचालन अवधि के दौरान राज्य में चालू की गई सभी नवीकरणीय ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए लागू होंगी।
- 11.11 टैरिफ तंत्र।—
- क. फीड-इन-टैरिफ (एफ आई टी)।—बीईआरसी विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग फीड-इन-टैरिफ की घोषणा करेगा, ताकि राज्य में सभी परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास हो सके। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्द्धन के लिए राज्य-केन्द्रित परिदृश्यों पर विचार करते हुए प्रौद्योगिकी के साथ क्षमता केन्द्रित एफ आई टी को तैयार करने के लिए बीईआरसी को निदेश दे सकता है।
उपरोक्त के अतिरिक्त, बीईआरसी आरई परियोजनाओं और भंडारण संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च मांग के समय ग्रिड में बिजली देने हेतु समय-समय पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा फीड-इन टैरिफ भी पेश कर सकेगा।
- ख. कृषि फीडर का सौरीकरण।—डिस्कॉम को उचित सीलिंग टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो लघु परियोजनाओं एवं उच्चतर लेन-देन लागतों को पर्याप्त रूप से अधिकृत करता है, और यदि आवश्यक हो तो कृषि योजना हेतु सौरीकरण के लिए संशोधन पर विचार कर सकेगा। इसके अतिरिक्त कृषि प्रधान जिलों के लिए विशेष रूप से कृषि वितरण उपकेन्द्रवार सौर विद्युत् के आपूर्ति हेतु को डिस्कॉम द्वारा क्षमता को पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किया जाएगा।
- ग. ग्रीन टैरिफ।—उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा चुनने के लिए एवं प्रोत्साहन हेतु, बीईआरसी सभी उपभोक्ताओं के लिए 'हरित टैरिफ' लागू कर सकती है, जिसमें विभिन्न वोल्टेज श्रेणियाँ शामिल हैं। ग्रीन टैरिफ दर डिस्कॉम के विभिन्न आरई स्रोतों से औसत पूल की गई बिजली खरीद लागत से कम या बराबर होनी चाहिए ताकि प्रारंभिक ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, यदि उपभोक्ता आरपीओ विनियमों के तहत बाध्यकारी इकाई नहीं है, तो बिजली की खरीद को डिस्कॉम के आरपीओपूर्ति के लिए माना जाएगा।
- घ. आभासी/समूह मीटरिंग।—पात्र उपभोक्ताओं, विशेष रूप से बिहार के शहरी/ग्रामीण केंद्रों में अवस्थित और पर्याप्त भवन के छतों/दुर्गम रूफटॉप क्षेत्रों आदि तक जैसे बाधाओं का सामना करने वाले और विभिन्न इकाईयों के लिए जिनके पास कई विद्युत् कनेक्शन है, को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए आभासी नेट मीटरिंग, समूह मीटरिंग सहित को उपयुक्त विनियमों के साथ बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- 11.12 एकल विंडो सुविधा।—
- क. परियोजनाओं की समयबद्ध अनुमोदन को आसान बनाने के लिए ब्रेडा द्वारा एक समर्पित एकल विंडो सेल बनाया जायेगा।
- ख. सभी श्रेणियों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव को एकल विंडो सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। यदि परियोजना विकास बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, तो विकासकर्ता संबंधित हितधारकों से आवश्यक सुविधा एवं स्वीकृति के लिए संबंधित दस्तावेजों को एकल विंडो सेल में प्रस्तुत करेगा।

- ग. सभी संवैधानिक स्वीकृति और अनुमोदन इस एकल विंडो सुविधा के माध्यम से आरई परियोजनाओं को प्रस्ताव एवं आवेदन प्रस्तुत करने के तिथि से 60 दिनों के अंदर समयबद्ध तरीके से प्रदान की जायेगी।
- घ. ब्रेडा इस नीति में विनिर्दष्ट अनुसार सरकारी विभागों से सभी प्रकार के स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने में आरई परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को एकल विंडो सुविधा के माध्यम से सहयोग प्रदान करेगा।
- ङ. यह सुविधा कृषि सौर योजना के तहत परियोजनाओं के लिए भी विस्तारित की जायेगी ताकि विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने की चुनौतियों को कम किया जा सकेगा।
- च. इस नीति के लागू होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर एकल विंडो सुविधा की रूप-रेखा को अधिसूचित किया जायेगा।
- 11.13 कार्बन क्रेडिट/कार्बन मूल्य निर्धारण।**—आरई उत्पादन इकाई स्वच्छ विकास तंत्र के तहत स्वीकृत परियोजना या संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूप-रेखा सम्मेलन भारत द्वारा विकसित किसी भी अन्य तंत्र से प्राप्त कार्बन क्रेडिट की पूरी आय यदि कोई हो, को अपने पास रखेगी। राज्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रविस्तारण को बढ़ावा देने और अपने कार्बन उत्सर्जन को विकारबन करने के लिए अपने स्वयं की कार्बन क्रेडिट और व्यापार मंच को विकसित करेगा।
- 11.14 मानित उद्योग दर्जा।**—सभी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को बिहार की प्रचलित औद्योगिक नीति द्वारा प्रशासित योजनाओं के तहत उद्योग के रूप में माना जायेगा और औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध प्रोत्साहन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे। ब्रेडा बिहार औद्योगिक नीति और समय-समय पर संशोधित सब्सिडी/प्रोत्साहन की मंजूरी और वितरण के लिए सिफारिश करेगा। इस नीति से मिलने वाली सब्सिडी/प्रोत्साहनों के लिए, जो राज्य औद्योगिक नीति के तहत नहीं आते हैं, ऊर्जा विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा। बिहार की प्रचलित औद्योगिक नीति और इस नीति के बीच किसी भी असंगति की स्थिति में, इस नीति के तहत प्रावधान लागू होंगे।
- 11.15 नवीकरणीय ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिकल वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों (केंद्रों) की स्थापना को बढ़ावा देना।**—जीवाश्म इंधन से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि के कारण स्वच्छ और हरित गतिशीलता की ओर बदलाव एक आवश्यकता बन गई है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि और अंततः जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। वाहनों की बढ़ती आवा-जाही जीवाश्म इंधन की खपत में वृद्धि से प्रदूषण में भी वृद्धि हुई है तथा बढ़ते आयात बिल के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपरोक्त कारक (ईवी) और सहायक प्रौद्योगिकियों को अपनाने का मुख्य कारण है। ईवी के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु उपयुक्त ग्रिड से जुड़ी बिजली की आवश्यकता एक प्रमुख चुनौती रही है। गैर पारम्परिक स्रोतों से उत्पन्न बिजली से ईवी की चार्जिंग कार्बन पदचिन्ह को और कम करने की सुविधा प्रदान करती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य निम्नलिखित तरीके से ईवी की चार्जिंग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगा।
- क. चार्जिंग आधारभूत संरचना को विद्युत मंत्रालय/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को मानकों के अनुसार विकसित किया जायेगा।
- ख. ईवी चार्जिंग स्टेशनों का स्थापना राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी ऑपरेटर्स या सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के द्वारा स्थापित किया जा सकेगा।
- ग. इस नीति के लागू की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर स्थापित किये जाने वाले पहले 1000 (एक हजार) या 50 मेगावाट (जो भी अधिक हो) नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए सरकारी भूमि 50 प्रतिशत व्यय की दर पर आवंटित की जायेगी।
- घ. चार्जिंग स्टेशन सेवा प्रदाता अपने परिसर में कैप्टिव उपयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकेंगे और राज्य के अंदर स्थित उत्पादन संयंत्रों से ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत भी प्राप्त कर सकेंगे, ताकि ईवी चार्जिंग की स्थापना की तिथि से पच्चीस (25) वर्षों की अवधि के लिए समान संचरण और व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सके।
- ङ. उपरोक्त लाभ एकल सेवा प्रदाता के स्वामित्व आदि ईवी चार्जिंग स्टेशनों के श्रृंखला के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- च. राज्य ईवी चार्जिंग स्टेशनों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्द्धन और उपयोग के संबंध में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करेगा।
- छ. व्यावसायिक उपयोग (अर्थात बेडो मालिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली चार्जिंग सुविधाओं) के लिए सभी सार्वजनिक और कैप्टिव चार्जिंग स्टेशनों हेतु लागू बिजली टैरिफ बीईआरसी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

- 11.16 अनिवार्य चालू स्थिति।**—एसएलडीसी लागू बीईआरसी विनियमों के अनुसार राज्य में सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की अनिवार्य चालू स्थिति सुनिश्चित करेगा और पारदर्शी तरीके से विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की विद्युत कटौती का डाटा अनुरक्षित रखेगा। सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ समय-समय पर संशोधित लागू बीईआरसी विनियमों के अनुसार अपने उत्पादन का पूर्वानुमान और समय निर्धारण करेगी। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शामिल करने वाले फीडरों को परियोजनाओं के संचालन समय के दौरान प्राथमिकता वाले फीडरों (1 मेगावाट से अधिक आरई परियोजनाओं की संचरित क्षमता वाले फीडर जिनमें कम से कम एक फीडर 0.5 मेगावाट के आकार का संयंत्र हो) को चालू रखकर उनके आवश्यक चालू अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधित किया जायेगा। 0.5 मेगावाट और उससे अधिक आकार के संयंत्र के विकासकर्ता को उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिस्कॉम/ ट्रांसकॉम के संबंधित पदाधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संयंत्र के तकनीकी विवरण एसएलडीसी को साझा करेंगे।
- 11.17 न्यूनतम उत्पादन मुआवजा।**—ग्रिड की विफलता के कारण राज्य के अंदर विकसित परियोजनाओं में आरई उत्पादन में होने वाली हानि, ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण या कार्मिक की सुरक्षा या अन्य ऐसी घटनाओं के अतिरिक्त आरई उत्पादक, अनिवार्य चालू स्थिति के गैर अनुपालन के लिए दंड खंड के अनुरूप विद्युत के खरीददार से न्यूनतम उत्पादन मुआवजा के पात्र होंगे।
- 12. अनिवार्य चालू स्थिति के अनुपालन नहीं करने पर दंड।**—यदि संबंधित उपयोगिता राज्य में इस नीति अवधि के दौरान विकसित आरई परियोजनाओं के अनिवार्य चालू स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को पूरा नहीं करेगी तो शास्ति लागू होगा। राज्य में स्थापित आरई परियोजनाएँ प्राथमिकता वाली परियोजनाएँ होंगी और उनके अनिवार्य चालू स्थिति अनुपालन के लिए आधारभूत संरचना सुविधा विकसित की जायेगी। आरई परियोजनाओं की अनिवार्य चालू स्थिति का अनुपालन करने के लिए डिस्कॉम/ट्रांसकॉम प्राथमिकता फीडरों को (फीडरों में आरई परियोजनाओं की संचयी क्षमता 1 मेगावाट से अधिक है, जिसमें कम से कम 1 संयंत्र का आकार 0.5 मेगावाट है।) परियोजनाओं के संचालन के समय चालू रखेंगे। यदि ग्रिड की विफलता के कारण आरई संयंत्र अनिवार्य चालू मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आरई उत्पादन में होने वाली हानि, ग्रिड सुरक्षा या किसी उपकरण या कार्मिक की सुरक्षा या अन्य ऐसी घटनाओं जो एसएलडीसी या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा सूचित किया जा सके, के लिए न्यूनतम उत्पादन मुआवजा के पात्र होंगे।
- न्यूनतम उत्पादन मुआवजा = $100\% [(माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन) \times (माह के दौरान ब्रेकडाउन घंटे की संख्या) \times पीपीए टैरिफ]$
- जहाँ, माह के दौरान प्रति घंटा औसत उत्पादन (केडब्लूएच) = माह में कुल उत्पादन (केडब्लूएच) ÷ माह में कुल उत्पादन घंटे।
- मुआवजा केवल तभी लागू होगा जब विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन लक्ष्य से कम हो। सभी उत्पादन के अनुसार परिभाषित उत्पादन इकाई के सीयूफ (क्षमता उपयोगिता कारक) के अनुरूप परिभाषित किया जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक संबंधित विद्युत खरीददार से आवश्यक राशि के दावा करने के लिए पात्र होंगे, ब्रेडा इसके लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा। संबंधित विद्युत खरीददार शास्ति राशि को एकल विंडो में जमा करेगा। यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा जहाँ विद्युत की खरीद राज्य डिस्कॉम के द्वारा खरीद की जाती है।
- 13. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अनिवार्य उपयोग।**— राज्य भवन नियमों में संशोधनों को जारी करेगा, जिससे 350 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी नाम निर्दिष्ट नए घरों/भवनों/विवाह हॉल/होटल/छात्रावासों आदि के लिए सौर जल तापन प्रणालियों का उपयोग अनिवार्य हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करनेवाले गर्म पानी बॉयलर/भाप बॉयलर वाले उद्योगों के लिए सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना अनिवार्य की जाएगी। 1000 केवीए और उससे अधिक कनेक्टेड विद्युत भार वाले बड़े उद्योगों को अपनी बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सौर पीवी परियोजना स्थापित करना अनिवार्य होगा।
- 14. योजनाओं का अभिसरण।**—राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य विभिन्न कार्यक्रमों, निधियों तथा विशेषज्ञता और समन्वय हेतु विभिन्न विभाग और एजेंसियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अभिसरण के लिए आवश्यक प्रावधान तैयार करेगा। इस पहल का लक्ष्य सार्वजनिक निवेशों को अनुकूलित करके जनता पर उनके प्रभाव को बढ़ाना है।
- 15. संसाधन (भूमि/नहर/जलाशय/नदी/छत इत्यादि)।**—परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करना परियोजना विकासकर्ता की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संसाधन के मामले में, आवंटन मौजूदा सरकारी नीति के अनुसार किया जाएगा।
- ब्रेडा द्वारा प्रत्येक जिले के लिए 'संसाधन सूचना बैंक' का निर्माण किया जायेगा, जो ब्रेडा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सुलभ बनाया जाएगा। किसानों सहित संसाधन के स्वामी, आगे आकर संबंधित अधिकारियों या ब्रेडा को अपने संसाधन के विवरण प्रदान कर सकेंगे। अनुभाग के संबंधित संसाधन के जिला स्तर के पदाधिकारी संबंधित जिला में आरई परियोजनाओं के स्थापना के लिए उपयुक्त संसाधन का विवरण

एकत्र करेगा। इस प्रकार ब्रेडा राज्य स्तर पर एकत्र करेगा। ब्रेडा भी संसाधनों को एकत्र करने के लिए पहल करेगा, जो विभिन्न हितधारकों से आरई परियोजनाओं के विकास के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

राज्य के सभी सरकारी विभागों से भवनों की छतों की संख्या की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा, जिसका उपयोग रूफटॉप सौर योजनाओं के लिए एक आदेश के रूप में सभी सरकारी भवनों के छतों का उपयोग ग्रिड संबद्ध सौर रूफटॉप परियोजना को स्थापित करने के लिए किया जायेगा। परियोजना ब्रेडा या ऊर्जा विभाग द्वारा नियुक्त किसी नाम निर्दिष्ट नोडल एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

परियोजना विकासक सीधे निजी भूमि खरीद सकेंगे और राज्य औद्योगिक नीति के उपबंध के अनुसार कृषि भूमि के उपयोग की अनुमति भी दी जाएगी। सरकारी विभाग सौर परियोजनाओं को आवंटन के लिए बीआईएडीए को किराए पर भूमि हस्तांतरित कर सकते हैं। हस्तांतरित भूमि को बीआईएडीए की रिक्त सूची में अद्यतन किया जाएगा तथा परियोजना समिति (पीसीसी) की बैठक में सौर परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। 25-30 वर्ष की परिचालन अवधि वाली परियोजनाओं को बीआईएडीए से या बीआईएडीए के बाहर पट्टे अनुबंध पर भूमि आवंटित की जाएगी।

संसाधनों के आवंटन के लिए बिहार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आवंटन समिति (बीआरईआरएसी) सभी संसाधन आवंटन से सम्बंधित निर्णय लेगी। पट्टे अनुबंध की समाप्ति के बाद संसाधनों को सम्बंधित विभाग को वापस करने की जिम्मेदारी भी होगी, समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i)	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	अध्यक्ष
(ii)	सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य एवं संयोजक
(iii)	सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
(iv)	सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
(v)	सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार	सदस्य

16. पर्यावरण स्वीकृति।—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना चाहिए:

- क. बायोमास पर आधारित 25 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्र और कोयला/लिग्नाइट/पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सहायक ईंधन का उपयोग करते हुए अधिकतम 15 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है।
- ख. गैर-जोखिम अपशिष्ट नगरीय प्रतिष्ठान पर आधारित 25 मेगावाट तक के विद्युत और कोयला/लिग्नाइट/पेट्रोलियम उत्पादों जैसे सहायक ईंधन का उपयोग करते हो, अधिकतम 15 प्रतिशत तक छूट दी जा सकती है।
- ग. किसी सहायक ईंधन के बिना अपशिष्ट ताप बॉयलर का उपयोग करने वाले विद्युत् संयंत्रों को छूट दी जाती है।
- घ. बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड भी आवेदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर स्वीकृति जारी करेगा।
- ङ. आरई परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी नियमावली और अधिसूचनाएँ लागू होगी।

17. नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विनिर्माण क्षमता का निर्माण।—राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उपकरण विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त परिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान देगी। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सौर पीवी इकाई समुच्चयन तक ही ध्यान नहीं दिया जायेगा, पॉलिसिलिकॉन से लेकर सोलर इकाइयों तक सौर मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य में प्रणाली के संतुलन के विनिर्माण के साथ-साथ मिनी ग्रिडों, सौर प्रकाशस्तंभों, सौर सिचाई पम्प आदि जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपकरणों के समुच्चयन को प्रोत्साहित किया जायेगा। अन्य विभागों के साथ उपबंधों को सक्षम करके विनिर्माण क्षमता के प्रोत्साहित किया जायेगा, इस संबंध में राज्य सरकार निम्नलिखित कार्रवाईयों करेगी :-

- क. सौर उद्यानों/अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानों में सरकारी भूमि की प्राथमिक आवंटन दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर किया जायेगा।
- ख. नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य संबंधित घटकों हेतु नई विनिर्माण सुविधाओं के लिए पाँच वर्षों के लिए विद्युत शुल्क को माफ किया जायेगा।
- ग. स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट।
- घ. सभी नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माताओं को एसजीएसटी आधारित प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति।
- ङ. सौर नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण बैटरी भंडारण के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क की पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत की छूट।
- च. प्रचलित बिहार औद्योगिक नीति और समय-समय पर किये गये संशोधनों में प्रदान किये गये कोई भी अन्य प्रोत्साहन।

18. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) तथा नवाचार के लिए हित धारकों का वचनबद्धः
- क. ब्रेडा राज्य में आर्थिक और औद्योगिक समर्थन के लिए स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेगा।
 - ख. ब्रेडा जीवंत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पायलट प्रदर्शन हेतु संबंधित विभागों के साथ काम करेगी।
 - ग. ब्रेडा आगे की नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से अनुसंधान करेगा। ये प्रमुख क्षेत्र ब्रेडा द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बिहार आर एण्ड डी और नवाचार समिति के विनिश्चित किये जायेंगे।
 - घ. एक वित्तीय वर्ष के लिए कुल बजट का न्यूनतम 5 प्रतिशत अनुसंधान और विकास आर एण्ड डी के लिए समर्पित किया जायेगा, इसमें प्रमुख क्षेत्र के तहत एक पायलट परियोजना, राज्य के आंतरिक मानव संसाधनों के लिए प्रशिक्षण और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वाणिज्यकरण के लिए अन्य समर्थन शामिल होगा।
 - ङ. प्रारम्भ में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु उपर्युक्त भूमिकाओं के लिए एक समर्पित आर एण्ड डी केन्द्र को निष्पादन हेतु संचालित किया जायेगा। इसे राज्य की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित किया जायेगा।
 - च. बिहार आर एण्ड डी और नवाचार समिति एवं बिहार ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान जैसी पृथक इकाई के विकास के लिए निर्णय लेगी। आर एण्ड डी, नवाचार, प्रशिक्षण आदि से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेगी।
 - छ. ब्रेडा के तहत समर्पित मानव संसाधन (श्रम शक्ति/विशेषज्ञ) को, जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/विशेषज्ञ संगठन/किसी अन्य संस्थान के साथ प्रमुख क्षेत्रों पर परियोजना विकास की सुविधा के लिए सभी आवश्यक कार्य करेगा।
 - ज. ब्रेडा राज्य केन्द्रित परिदृश्यों पर विचार करते हुए नवाचार लाने के लिए स्थानीय/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा।
 - झ. ब्रेडा राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से जमीनी स्तर के मुद्दों को हल करने के लिए नवाचार लाने हेतु कार्यशालाओं/चुनौतियों के साथ राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तर पर परामर्श आयोजित करेगा। प्रति वित्तीय वर्ष में न्यूनतम दो मदों में ऐसी कार्यशालाएँ/चुनौतियाँ आयोजित की जायेगी।
 - ञ. बिहार आर एण्ड डी और नवाचार समिति नामक एक समिति गठित की जायेगी, जो कार्यशाला/चुनौति का आयोजन करने के निर्णय लेगी।

i.	निदेशक-ब्रेडा	अध्यक्ष
ii.	प्रबंध निदेशक-बीएचपीसी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य एवं संयोजक
iii.	प्रबंध निदेशक- एनबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक- एसबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
v.	प्रबंध निदेशक-बीएसपीटीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	प्रबंध निदेशक-बीएसपीजीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	निदेशक-आईआईटी पटना या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	निदेशक- एनआईटी पटना या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	अध्यक्ष -बिहार उद्योग संघ या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
x.	नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञ (ब्रेडा द्वारा मनोनित)	सदस्य
xi.	नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता	खुला प्रतिनिधित्व

19. भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम)।-

- क. नोडल एजेंसी विभागों के परामर्श से विद्युत मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी विभागों और डिस्कॉम को विद्युत की बिक्री के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र स्थापित करेगी।
- ख. नोडल एजेंसी विभाग और विकासकर्ता के एस्करो खाते बनाने तथा विकासकर्ता के साथ पहले अधिकार के माध्यम से पीएसएम बनाने का विकल्प तलाश सकेगी ताकि निर्विवाद बकाया राशियों को वसूली की जा सके, जिनका भुगतान विभागीय स्तर से समय पर करने में विफल रहा हो।
- ग. नोडल एजेंसी कम से कम छह (6) महीने के ऊर्जा बिल के बराबर सरकारी विभाग से उत्तर-तिथि चेक (पीडीसी) या बैंक गारण्टी के माध्यम से भी पीएसएम बना सकती है।
- घ. नोडल एजेंसी सरकारी विभागों के साथ मिलकर विकासकर्ताओं को सहायता भी प्रदान करेगी और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करेगी।
- ङ. नोडल एजेंसी नवीकरणीय संयंत्र विकासकर्ताओं को सहायता प्रदान करेगी, केन्द्रीय और राज्य सरकार से उपलब्ध सब्सिडी को लाभ दिलाने में मदद करेगी।

20. **डेटानिगरानी**।—निवेश निर्णय लेते समय परियोजना विकासकर्ता और प्रणाली स्थापनाकर्ताओं के लिए डेटा के उपलब्धता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य डेटा पारदर्शिता में नई मिसाल कायम करेगा और अपनी वेबपोर्टल और मोबाईल अनुप्रयोग के माध्यम से परियोजनाओं के प्रदर्शन डेटा को सार्वजनिक डोमेन में रखने का प्रयास करेगा। बिहार में स्थापित की जाने वाली सभी नई परियोजनाओं को संयंत्र के प्रदर्शन से संबंधित वास्तविक समय के डेटा को रिकॉर्ड करना और उपलब्ध कराना अनिवार्य होगी, जिसे वेबपोर्टल पर एकत्रित और प्रस्तुत किया जायेगा। ग्रिड से जुड़ी परियोजनाओं के लागू होने के बाद डेटा निगरानी योजना को ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत परियोजनाओं तक बढ़ाया जायेगा। इस तरह एकत्र किये गये डेटा से संयंत्र के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करने और फिर परियोजनाओं के परिचालन क्षमता में सुधार करने में तरीकों पर कार्य करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा उद्यानों सहित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के स्थापना के लिए उपयुक्त अवस्थितियों पर एनआईडब्ल्यू के समर्थन से दस (10) मौसम केन्द्र स्थापित करेगी। परियोजना विकासकर्ता को परियोजना से उत्पादन का अनुमान लगाने और वित्तीय रिटर्न की गणना करने के लिए आरई संसाधन डेटा की आवश्यकता होती है। इससे परियोजना विकासकर्ता को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी तथा वित्तीय समापन के चरण में परियोजना की विफलता की संभावना कम हो जायेगी।

21. **बिजली संचरण एवं वितरण आधारभूत संरचना हेतु आवश्यकताएँ**।—

क. ग्रिड एकीकरण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तकनीकी दिशा-निर्देश ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक (संशोधन) विनियमन, 2019 के अनुरूप होगा।

ख. अन्तरायोजक वोल्टेज :-

आरई परियोजना क्षमता (सी)	अन्तरायोजक विनिर्देश
1 केडब्लू <C≤7 केडब्लू	220 V, 1 φ/3 φ
7 केडब्लू <C≤100 केडब्लू	220V/ 440V/11kV, 3 φ
100 केडब्लू <C ≤5000 केडब्लू	11kV/33kV, 3φ
C > 5000 केडब्लू	33kV/132kV/220kV, 3φ

नोट- स्थल पर तकनीकी की साध्यता के अनुसार

- ग. ग्रिड अंतरायोजन समय-समय पर यथासंशोधित बीईआरसी, सीईआरसी और सीईए के प्रचलित मानदंडों के अनुसार होगा।
- घ. संबंधित प्रेषण और अन्तरायोजन सुविधा को प्रारंभ में सीटीयू/एसटीयू/डिस्कॉम द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, जो मौजूदा बुनियादी आधारभूत संरचना के अनुसार प्रवेश स्तर, अतिरिक्त नेटवर्क क्षमता और अन्य प्रणाली अध्ययनों पर निर्भर करेगा।

प्रावधान।—

- क. मेगावाट पैमाने की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए ब्रेडा/नोडल एजेंसी द्वारा पहचाने गये सभी संसाधनों के लिए राज्य संचरण/वितरण उपयोगिताएँ या राज्य सरकार के विशेष परियोजन वाहन/ संयुक्त उद्यम जैसा भी मामला हो, निकटतम विद्युत उप केन्द्रों के माध्यम से उत्पादन विद्युत की नवीकरणीय ऊर्जा का कनेक्टिविटी और प्रेषण के लिए आवश्यक ग्रीन ग्रिड आधारभूत संरचना का निर्माण/संवर्द्धन करेंगे। इस मामले में प्रेषण आधारभूत संरचना के लिए संचरण नेटवर्क निर्माण की सभी लागतें राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना विकास के लिए बोली तभी आयोजित की जायेगी जब नाम निर्दिष्ट संसाधन स्थलों पर आवश्यक पूर्व- विकास गतिविधियाँ पूरी हो जाए या पूरी होने वाली हो। इस मामले में स्थापित परियोजनाओं का राज्य के अंदर या बाहर किसी अन्य इकाई को बिक्री से पहले राज्य डिस्कॉम के आरपीओ को पूरा करने के लिए उपयोग किया जायेगा।
- ख. राज्य में विकसित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संचरण/वितरण उपयोगिता लाईन और मीटरिंग तथा सुरक्षात्मक उपकरणों जैसे अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास की लागत 10 किलोमीटर की दूरी तक वहन किया जायेगा। यदि अंतः संयोजक केन्द्र और ग्रिड संयोजकता के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है तो 10 किलोमीटर की आगे की दूरी के लिए संचरण/वितरण लाईन और अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लागत को विकासकर्ता और संचरण/वितरण उपयोगकर्ताओं के बीच सामान्य रूप से वहन किया जायेगा। संबंधित संचरण/वितरण उपयोगकर्ता राज्य सरकार से उपरोक्त सभी लागत के लिए अधियाचना करने के लिए उत्तरदायी भी होंगे।
- ग. किसी भी अपस्ट्रीम प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकताओं को संचरण/वितरण उपयोगिताओं द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वहन किया जायेगा। उपयोगिता पैमाना नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर सभी आरई विद्युत परियोजनाओं के लिए संचरण/वितरण उपयोगिताओं द्वारा लगाए गए पर्यवेक्षण शुल्क से छूट दी जाएगी। आरई परियोजना विकासकर्ता से आवेदन प्राप्त के 30 दिनों के भीतर तकनीकी साध्यता के लिए प्रस्तावों की संचरण/वितरण उपयोगिताएँ प्रक्रिया बंद करेगी। सभी प्रस्तावों को ब्रेडा के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। आधारभूत भौतिक संरचना

सुविधा के विकास की दर संबंधित संचरण/वितरण उपयोगिता की एसओआर (दरों की अनुसूची) के साथ होगी। यदि संचरण/वितरण आधारभूत संरचना विकसित होता है तो उसे उपरोक्त दर के अनुसार ब्रेडा के परामर्श से वितरित किया जायेगा।

- घ. यदि किसी विद्युत उप केन्द्र/वितरण पर विद्युत निकासी की कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बची हो, तो संबंधित ट्रांसकॉम/डिस्कॉम में नई आरई परियोजना से उत्पादित विद्युत की आपूर्ति के लिए किसी भी विद्युत उप केन्द्र/वितरण पर विद्युत निकासी क्षमता की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आरई परियोजना को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ङ. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रेषण आधारभूत संरचना के विकास की लागत उपभोक्ता शुल्क पर नहीं डाली जाए। एसएलएससी को राज्यहित में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 10 किमी तक की निकासी आधारभूत संरचना विकास के लिए सीमा को किसी भी आवश्यक लम्बाई के लिए संशोधित करने का अधिकार है।

नोट:— ब्रेडा/नोडल एजेंसी नीति में लक्ष्य अनुरूप निधि मूल्यांकन कार्यान्वित करेगी और इसे ऊर्जा विभाग को प्रस्तुत करेगी।

22. विद्युत बिक्री तंत्र।—

22.1 वितरण कंपनियों को विद्युत की बिक्री के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ।— डिस्कॉम द्वारा विभिन्न आरई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु सीमा क्षमता पर विचार करते हुए राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित, प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस नवीकरणीय ऊर्जा नीति के सभी आरई परियोजनाओं के लिए सीमा क्षमता को 5 मेगावाट मानती है, जिसे केन्द्र सरकार के आदेशों के अनुरूप बीईआरसी द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। ग्रिड से जुड़ी आरई परियोजनाओं से विद्युत की खरीद जिसका आकार 5 मेगावाट या उससे अधिक है, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से की जायेगी। सीमा क्षमता से नीचे बीईआरसी विभिन्न आरई उत्पादन इकाइयों से विद्युत खरीदारी हेतु पृथक प्रौद्योगिकी केन्द्रित फीड इन टैरिफ तैयार करेगी। एफआईटी सीमा क्षमता से नीचे की सभी क्षमताओं के लिए दृढ़ रहेगा। इसके लिए कोई भी प्रतिस्पर्धी बोली नहीं लगाई जायेगी। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य में क्षेत्रों के विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास और क्षमता में वृद्धि बाधाओं को आसान बनाने के लिए बीईआरसी को राज्य केन्द्रित परिदृश्यों पर विचार करते हुए प्रौद्योगिकी और क्षमता केन्द्रित एफआईटी तैयार करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

22.2 नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (आरईसी तंत्र के तहत आरई विद्युत परियोजनाएँ)।—राज्य या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) तथा इसके समय-समय पर संशोधन द्वारा यथा विनिश्चित पंजीकरण और मान्यता के संबंध में प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार आरईसी तंत्र के तहत विद्युत की खरीद के माध्यम से आरई विद्युत संयंत्रों के विकास को बढ़ावा देगा। ब्रेडा राज्य के एजेंसी होने के नाते नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के मान्यता प्रत्यायन के लिए अपना समर्थन प्रदान करेगा और समयबद्ध तरीके से केन्द्रीय एजेंसी के साथ इसके पंजीकरण की सिफारिश करेगा। अपनी भूमिका निभाने में ब्रेडा समय-समय पर रूप-रेखा कार्यान्वयन के लिए बीईआरसी द्वारा दिये गये किसी भी निर्देश का अनुपालन करेगा। ब्रेडा राज्य डिस्कॉम के परामर्श से आरईसी तंत्र के तहत आरई परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा।

22.3 डिस्कॉम के अतिरिक्त किसी अन्य इकाई को विद्युत की बिक्री हेतु आरई परियोजनाएँ (तृतीय पक्ष बिक्री)।—राज्य डिस्कॉम के अतिरिक्त किसी अन्य इकाई को विद्युत की बिक्री के लिए आरई विद्युत संयंत्र के विकास को बढ़ावा देगा। नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के स्वामित्व द्वारा किसी अन्य इकाई को विद्युत की बिक्री तृतीय पक्ष बिक्री माना जायेगा। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ बिना किसी क्षमता प्रतिबंध के तीसरे पक्ष की बिक्री के लिए स्थापित की जा सकती है। डिस्कॉम विद्युत के तृतीय पक्ष बिक्री को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध तरीके से ओपन ऐक्सेस की स्वीकृति प्रदान करेगा।

23. बिहार अक्षय ऊर्जा केन्द्र।—ब्रेडा प्रत्येक जिले में निम्नलिखित उद्देश्य और जिम्मेदारियों के साथ एक समर्पित बिहार अक्षय ऊर्जा केन्द्र खोलेगा।

- क. स्थानीय लोगों को नीति, कार्यक्रम और सब्सिडी स्तर की जानकारी देना।
- ख. आरई और संबंधित कार्यों का बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और क्षमता निर्माण सहायता के लिए आयोजन करेगा।
- ग. विभिन्न औद्योगिकी क्षेत्रों के तहत उपलब्ध विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मेले का आयोजन करेगा।
- घ. विकासकर्ताओं/ओईएम के परामर्श से सेवा स्तर सहायता के लिए एक बिन्दु केन्द्र के रूप में कार्य करना।
- ङ. ब्रेडा/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निर्धारित जिला स्तर पर कोई अन्य सहायता प्रदान करना।

23.1 विकास और प्रबंधन का तरीका।-

- क. ब्रेडा प्रत्येक जिले के लिए अपने स्थानीय स्तर के सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपकरणों के आपूर्ति और आपूर्ति के बाद सहायता के लिए कम से कम दो विकासकर्ताओं/ओईएम को सूचीबद्ध करेगा/पैनल बनायेगा।
- ख. उपकरण, लागू दर और सरकार (राज्य/केन्द्र) के विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रावधानों के बारे में प्रचार किया जायेगा।
- ग. प्रत्येक विकासकर्ता/ओईएम से बिहार अक्षय ऊर्जा केन्द्र में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दो तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।
- घ. बिक्री किये गये सभी उपकरणों का विवरण आपूर्ति के बाद ब्रेडा को उपकरण के निर्धारित अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

24. आवेदन प्रक्रिया।-

24.1 परियोजना विकास के लिए प्रस्ताव की प्रस्तुति।- ब्रेडा सभी आरई परियोजनाओं के विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए एकल स्थल (एक केन्द्र) संपर्क हेतु सुनिश्चित किया जायेगा। इस नीति के तहत विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए योग्य संस्थाएँ सभी आवश्यक लाभ उठा सकती है। योग्य विकासकर्ता इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ एकल विंडो पोर्टल के माध्यम से अपने प्रस्ताव को समर्पित/जमा करेगा। प्रस्ताव ब्रेडा कार्यालय को ऑनलाईन/ऑफलाईन जमा किया जायेगा, इस नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:-

- क. परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर)।
- ख. स्टार्टअप इंडिया मान्यता प्रमाण-पत्र/उद्यमप्रमाण-पत्र/एनएसआईसीप्रमाण-पत्र/संबंधित व्यवसाय में भागीदारी के लिए उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- ग. फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- घ. जीएसटी प्रमाण-पत्र।
- ङ. पैन कार्ड।
- च. कम से कम एक वर्ष की लेखा परिक्षित तुलन पत्र (ऑडीटेड बैलेंस शीट), यदि लागू हो।
- छ. कम से कम एक वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र।

24.2 आवेदन भुलक ब्रेडा निम्नलिखित प्रसंस्करण भुलक (अप्रतिदेय) लेगा:

क्र० सं०	संयंत्र क्षमता	प्रसंस्करण शुल्क
1	<10 केडब्लु	₹ 1,000/-
2	>=10 केडब्लु परन्तु<100 केडब्लु	₹ 2,000/-
3	>=100 केडब्लु परन्तु<500 केडब्लु	₹ 5,000/-
4	>=500 केडब्लु परन्तु < 1000 केडब्लु	₹ 10,000/-
5	1 एमडब्लु एवं उपर	₹ 50,000/- प्रति एमडब्लु अधिकतम ₹ 5 लाख प्रति प्रस्ताव

नोट:- यह शुल्क केवल वाणिज्यिक श्रेणी की परियोजनाओं पर लागू होगा। इस प्रक्रिया के तहत विकसित परियोजनाएँ व्यवसाय संचालन शुरू होने पर ब्रेडा के साथ पंजीकृत मानी जाएगी। इस मामले में, विकासकर्ता ब्रेडा को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ब्रेडा से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगा।

25. बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास निधि (बीआरडीएफ)।- राज्य बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास निधि (बीआरडीएफ) बनाएगी, इस निधि का उपयोग उद्देश्यों को पूरा करने में राज्य की सहायता के लिए किया जायेगा। ब्रेडा इस नीति की चर्चा करने के लिए अधिसूचना की तिथि से तीन महीने के अंदर समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित करेगा।

25.1 उद्देश्य।-

- क. राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और स्थापना के लिए इस नीति में परिकल्पित सभी वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
- ख. विभिन्न आरई प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना।
- ग. राज्य में आरई क्षेत्र में स्टार्टअप और इसके नवाचारी अनुप्रयोगों को समर्थन प्रदान करना।
- घ. राज्य में त्वरित आरई के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करना।

25.2 निधि सृजन I—निधि सृजन और संबंधित विभाग के साथ समन्वय के लिए ब्रेडा और ऊर्जा विभाग द्वारा नामित अन्य नोडल एजेंसी द्वारा आवश्यक कार्य किया जायेगा। निधि सृजन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य के लिए ब्रेडा के अंदर एक निधि प्रबंधन इकाई बनायी जायेगी। इस इकाई में बीएचपीसी एवं बीएसपीजीसीएल से एक-एक अधिकारी शामिल होंगे। बीआरडीएफ निम्नलिखित तरीके से बनाया जायेगा:

- क. विभिन्न योजनाओं, आरई कार्यक्रमों, ग्रीन बजट आदि के तहत राज्य/केन्द्र सरकार के माध्यम से राज्य को निर्धारित निधि प्रदान की जायेगी।
- ख. परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने और पंजीकरण शुल्क हेतु आवेदन शुल्क के माध्यम से निधि सृजन।
- ग. समय-समय पर आयोग द्वारा अधिसूचित बीईआरसी (नवीकरणीय क्रय दायित्व एवं इसके अनुपालन) विनियमों के अनुसार बीईआरसी द्वारा चूक के तहत बाह्य संस्थाओं से शास्ति के संग्रह के माध्यम से सृजित धन राशि।
- घ. बीईआरसी विनियमों के अनुरूप ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के तहत प्राप्त प्रोत्साहन दण्ड संग्रह से सृजित निधि।
- ङ. सौर उद्यानों (पार्को) विशेष विनिर्माण क्षेत्रों आदि में आरई परियोजनाओं/विनिर्माण इकाईयों के लिए सामान्य आधारभूत संरचना से निश्चित और परिवर्तनीय शुल्क के माध्यम से सृजित निधि।
- च. राज्य में विकसित सभी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व के माध्यम से निधि का सृजन होगा। सभी नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता राज्य में विकसित विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट एक (1) पैसे की राशि का योगदान करेगी।
- छ. अन्य स्रोतों जैसे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संगठनों द्वारा अनुदान से सृजित निधि।
- ज. राज्य में विभिन्न इकाईयों के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से सृजित निधि।
- झ. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) पॉवर फाईनैस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/आरईसी/बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण या किसी अन्य वित्तीय तंत्रों के अनुरूप वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से नवीकरणीय विकास में सहायता के लिए मद बनाया जायेगा।
- ञ. ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सुविधा के लिए सृजित निधि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और शमन की लागत को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय अनुकूल निधि (एनएफसीसी) के तहत राज्य को आरई और ईई परियोजनाओं से आवंटित निधि।
- ट. नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा परियोजनाओं के अनुकूल, शमन सहायता और विकास के लिए राज्य को आवंटित कोई अन्य निधि।

नोट:— आरई और भंडारण परियोजनाओं, कौशल विकास आदि के लिए इस नीति के तहत चिन्हित लक्ष्यों के आवश्यक निधियों का न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रत्येक वित्तीय वर्ष की तिमाही के अंदर सृजित किया जायेगा। वार्षिक लक्ष्य और संबंधित आवश्यकता ब्रेडा द्वारा बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास निधि समिति के समक्ष समस्याओं पर विचार करते हुए प्रस्तुत की जायेगी।

25.3 निधि उपयोग क्षेत्र I— बीआरडीएफ का उपयोग निम्नलिखित विशेषताओं को पूरा करने के लिए किया जायेगा :-

- क. ब्रेडा और ऊर्जा विभाग द्वारा नामित अन्य नोडल एजेंसी को स्थापना समर्थन।
- ख. सोलर पार्क (उद्यान), विनिर्माण क्षेत्र, अन्य सामान्य आधारभूत संरचना सुविधाओं आदि के लिए उपयोगिता पैमाने/वितरित आरई परियोजनाओं की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के विकास के लिए अग्रिम शुल्क।
- ग. वितरित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रेषण/निकासी आधारभूत के विकास हेतु शामिल अग्रिम शुल्क।
- घ. राज्य में कुशल श्रम विकास के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना एवं क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन।
- ङ. नवीकरणीय ऊर्जा घटकों जैसे सौर पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, सोलर पंप आदि के प्रमाणीकरण के माध्यम से अनुसंधान और मानकीकृत मौजूदा प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान एवं विकास लैब (आर एण्ड डी) केन्द्रों तथा नयी प्रौद्योगिकियों की खोज के लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण।
- च. नवाचार, अवतरण (उद्भवन) और अनुसंधान एवं विकास सहायता: राज्य केन्द्रित चुनौतियों के समाधान के नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक, स्थिरता और संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को नवाचार, अवतरण (उद्भवन) और अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करना।
- छ. इस नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य को कोई अन्य सहायता प्रदान करना।

25.4 निधि उपयोग और निगरानी का तरीका I—

क. ब्रेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, कौशल विकास, स्टार्टअप प्रोत्साहन आदि के कार्यान्वयन के लिए नीति के तहत चिन्हित लक्ष्यों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सहायता का विस्तृत मूल्यांकन करेगा, और इसके जरिए सहायता के लिए राज्य/केन्द्र सरकार या बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के समक्ष इसके विचार के लिए निधि आवश्यकताओं को प्रस्तुत करेगा। बीएचपीसी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए ब्रेडा को सामान प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ख. बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास निधि समिति (बीआरडीएफसी) विभिन्न परियोजनाओं के तहत उपयोग की जाने वाली आवश्यक निधि को अनुमोदित करेगी। बीआरडीएफसी प्रत्येक तिमाही में बैठक करेगी। निधि उपयोग के प्रगति पर नजर रखने और परियोजना अनुमोदनो पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

i.	सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
ii.	निदेशक— ब्रेडा	सदस्य एवं संयोजक
iii.	प्रबंध निदेशक—बीएचपीसी या उनके प्रतिनिधि	सदस्य एवं संयोजक
iv.	प्रबंध निदेशक—एनबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
v.	प्रबंध निदेशक—एसबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	प्रबंध निदेशक—बीएसपीटीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	प्रबंध निदेशक—बीएसपीजीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
x.	पीसीसीएफ, वन विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
xi.	सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
xii.	सचिव/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य

26. शासन I—क्षमता के आधार पर, परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए विभिन्न स्तरों पर बिहार राज्य तकनीकी अनुमोदन समिति (एसएलईसी/एसएलएससी/डीएलएससी) का गठन किया जायेगा। समिति का गठन और उनके संबंधित भूमिका नियमानुसार होंगे:

26.1 जिला स्तर स्क्रीनिंग समिति (डीएलएससी) I—

क. एक ही स्थान पर 1 मेगावाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं की आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की अध्यक्षता में डीएलएससी का गठन किया जायेगा।

ख. इस नीति के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण और इस नीति का प्रचार-प्रसार करना।

ग. डीएलएससी प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी ताकि प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी और परियोजना अनुमोदनो पर निर्णय तथा लंबित मामलों की समीक्षा की जा सकेगी।

घ. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i.	संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी या डीडीसी	अध्यक्ष
ii.	अधीक्षण अभियंता (वितरण), संबंधित अनुमंडल	सदस्य एवं संयोजक
iii.	संबंधित अधीक्षण अभियंता (संचरण)	सदस्य एवं संयोजक
iv.	अधीक्षण अभियंता (जल संसाधन विभाग), संबंधित प्रमंडल	सदस्य
v.	प्रतिनिधि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
vi.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) या उनके प्रतिनिधि	सदस्य

26.2 राज्य स्तर स्क्रीनिंग समिति (एसएलएससी) I—

क. एक ही स्थान पर 1 मेगावाट या अधिक लेकिन 50 मेगावाट से कम क्षमता की परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एसएलएससी का गठन किया जायेगा।

ख. एसएलएससी को द्वैमासिक (प्रत्येक दो माह पर) में कम से कम एक बार बैठक करेगी, ताकि प्रगति पर नजर जा सके और परियोजना अनुमोदनो पर निर्णय तथा जिला स्तर के परियोजनाओं के साथ सभी आरई परियोजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा की जा सकेगी।

ग. ब्रेडा एसएलएससी को अर्द्धवार्षिक आधार पर सभी आरई परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

घ. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

i.	सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	अध्यक्ष
ii.	निदेशक- ब्रेडा	सदस्य एवं संयोजक
iii.	प्रबंध निदेशक - एनबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
iv.	प्रबंध निदेशक - एसबीपीडीसीएल या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
v.	प्रबंध निदेशक - बीएसपीटीसीएल या उनके सदस्य प्रतिनिधि	सदस्य
vi.	सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
vii.	सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
viii.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
ix.	सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
x.	अध्यक्ष -बिहार उद्योग संघ या उनके प्रतिनिधि	सदस्य

26.3 राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी)।-

- क. इस नीति के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाओं को दूर करने और समय-समय पर उत्पन्न होने वाले किसी अन्य अंतर- विभागीय मुद्दों को समाधान के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा।
- ख. यह समिति एक स्थान पर 50 मेगावाट या उससे अधिक की क्षमता वाले परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए या राज्य के आरई लक्ष्यों से संबंधित अनुमोदन के अतिरिक्त किसी भी रणनीतिक निर्णय को लेने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी।
- ग. एसएलईसी प्रगति के निगरानी करने तथा नीति के कार्यान्वयन में किसी अस्पष्टता, विवाद, मतभेद या मुद्दों के मामलों में निर्णय लेने के लिए त्रैमासिक बैठक करेगी। ब्रेडा राज्य में सभी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट अर्द्धवार्षिक आधार एसएलईसी को प्रस्तुत करेगा।
- घ. समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:

i.	मुख्य सचिव, बिहार सरकार	अध्यक्ष
ii.	सचिव/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार	सदस्य एवं संयोजक
iii.	सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
iv.	सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
v.	सचिव/प्रधान सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
vi.	सचिव/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
vii.	सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
viii.	सचिव/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार	सदस्य
ix.	अध्यक्ष -बिहार उद्योग संघ	सदस्य

27. **नीति की समीक्षा।** -बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वार्षिक आधार पर एक वर्ष की अवधि के उपरांत जब भी आवश्यकता हो किसी तकनीकी सफलता के मद्देनजर या विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बने नियमावली और विनियमों या किसी भारत सरकार के नीति के साथ किसी असंगति को दूर करने के लिए इस नीति की समीक्षा होगी। नीति समीक्षा समिति में इस नीति के सभी प्रासंगिक विभाग शामिल होंगे। राज्य और क्षेत्र में निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए इस नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों में पूर्व व्यापी संशोधन से बचा जायेगा।

28. **प्रासंगिक विभाग।** -इस नीति के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग और संगठन दो महीने के अंदर अनुवर्ती अधिसूचनाएँ निर्गत करेगी। संबंधित विभाग की सूची निम्नलिखित है:

- क. कृषि विभाग
 ख. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
 ग. सहकारिता विभाग
 घ. वाणिज्य कर विभाग
 ङ. ऊर्जा विभाग

- च. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 छ. उद्योग विभाग
 ज. खान एवं भूतत्त्व विभाग
 झ. योजना एवं विकास विभाग
 ञ. वित्त विभाग
 ट. राजस्व और भूमि सुधार विभाग
 ठ. ग्रामीण विकास विभाग
 ड. शहरी विकास और आवास विभाग
 ढ. जल संसाधन विभाग
 ण. परिवहन विभाग
 त. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

29. **समस्याओं के निराकरण हेतु शक्ति।**—यदि इस नीति की व्याख्या/कार्यान्वयन में अस्पष्टता, विवाद, मतभेद या मुद्दा उत्पन्न होता है, तो राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ऐसे मामले में निर्णय ले सकती है, जो नीति के प्रावधानों से असंगत ना हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उचित प्रतीत हो या स्वयं या उन पक्षों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने किसी प्रावधान में परिवर्तन के लिए प्रतिनिधित्व किया हो।
30. **कार्यान्वयन दिशा-निर्देश/रूप-रेखा।**—ब्रेडा राज्य केन्द्रित मापदण्डों और प्रायोज्यता पर विचार करते हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के लिए संबंधित विभाग के परामर्श से कार्यान्वयन दिशा-निर्देश या रूप-रेखा जारी करेगा। यह दिशा-निर्देश या रूप-रेखा स्पष्ट रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भूमिका और सभी संबंधित हितधारकों की उत्तरदायित्व, लक्षित क्षमता और इससे प्राप्त करने की समय-सीमा का स्पष्ट वर्णन किया जायेगा। नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश या रूप-रेखा तैयार किये जायेंगे :-

क्र०सं०	दिशा-निर्देश	जारी होने की अवधि (इस नीति के लागू की तिथि के बाद)	संबंधित विभाग
1	माइक्रो-मिनी ग्रिड परियोजना कार्यान्वयन दिशा-निर्देश	3 महीने के भीतर	ब्रेडा, डिस्कॉम
2	भवनों के छतों पर सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश (रूफटॉप सोलर पावर प्लांट)	3 महीने के भीतर	ब्रेडा, डिस्कॉम
3	सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश (गैर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट)	3 महीने के भीतर	ब्रेडा, बीएसपीजीसीएल
4	बायोमास और अपशिष्ट से ऊर्जा/हरित हाईड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा-निर्देश	5 महीने के भीतर	ब्रेडा
5	जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश	3 महीने के भीतर	बीएचपीसी
6	सौर पम्पों के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश और कृषि फीडरों के सौरीकरण के लिए दिशा-निर्देश	3 महीने के भीतर	ब्रेडा
7	हाईब्रिड आरई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश	6 महीने के भीतर	ब्रेडा
8	निधि प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा वित्तपोषण दिशा-निर्देश	3 महीने के भीतर	ब्रेडा
9	हरित गाँव/नगर/जिले के विकास के लिए दिशा-निर्देश	6 महीने के भीतर	ब्रेडा
10	भूतापीय परियोजना कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश	6 महीने के भीतर	ब्रेडा, बीएसपीजीसीएल
11	पम्प भंडारण परियोजनाओं के विकास के लिए दिशा-निर्देश	6 महीने के भीतर	बीएसपीजीसीएल/ बीएचपीसी

क्र०सं०	दिशा-निर्देश	जारी होने की अवधि (इस नीति के लागू की तिथि के बाद)	संबंधित विभाग
12	चुनौतियों/नवीन प्रौद्योगिकियों और क्षमता निर्माण के लिए नवाचार हेतु दिशा-निर्देश	6 महीने के भीतर	ब्रेडा

नोट:— ब्रेडा राज्य नोडल एजेंसी हाने के नाते संबंधित विभाग के परामर्श से उपरोक्त दिशा-निर्देश विकसित करेगी। ब्रेडा उपरोक्त समय-सीमा के अनुरूप दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए किसी अतिरिक्त इकाई संशाधन/डोमेन विशेषज्ञ परामर्शदाता यदि आवश्यक हो तो नियुक्त कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक निधि बिहार अक्षय ऊर्जा विकास निधि या ऊर्जा विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर वहन की जायेगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

No. प्र02/ब्रेडा अपारंपरिक नीति-11/2008(खंड)-3239

Energy Department

Resolution

The 10th July 2025

Sub- Bihar Policy for Promotion of Bihar New and Renewable Energy Sources 2025

- Preamble.**— The Government of Bihar (“State”) has stepped up its climate neutral ambition with building upon the goals and policies level actions for renewable energy (RE) adoption. The country wide RE and Net-Zero targets are already set by the Indian Government along with the international commitments and pledges. The state has also undertaken a detailed study to recommend a low carbon development pathway and devised a phase wise strategy to achieve Net-Zero by 2070. These pledges require a faster trajectory and increased efforts for RE adoption in the state. The State also aims to align with India’s ambitious RE target and accelerate deployment of RE projects (from small to large-scale projects) considering the state specific scenarios.
- Legislative Framework of the Policy.**—This policy will be referred as “Bihar Policy for Promotion of Bihar New and Renewable Energy Sources 2025” (henceforth “Policy”). Several provisions under the Electricity Act, 2003 (Act) mandates the Bihar Electricity Regulatory Commission (BERC) and the Government of Bihar to take necessary steps for promotion of RE in the state. Section 108 of the Act mandates the State to give directions to the State Commission for promotion of RE in the state including policy framework design. This policy supersedes the previous “Bihar Policy for Promotion of Bihar New and Renewable Energy Sources 2017”.
- Scope**
 - The scope of the policy is limited to RE and Energy Storage Projects, including but not limited to solar (photovoltaic, thermal), hydro, wind, energy storage (battery, pumped hydro), waste to energy, green hydrogen (and green ammonia), geothermal technologies and any other renewable energy technology recognized by MNRE/BREDA.
 - The benefits under this policy will not be applicable to the projects for which PPAs have already been signed before this policy.

4. Operative Period

- a) This policy will come into effect from the date of issuance and will remain applicable for a period of five (5) years and/ or will remain in force till the issuance of a new policy.
- b) Renewable Energy Projects (REP) that are commissioned during the operative period will be eligible for the incentives declared under this policy, for a period of 25 years from the date of commissioning or for the lifespan of the energy project, whichever is earlier. If specific incentive mentioned in policy for any particulars, the same will be considered for its applicability.

5. Nodal agency

- a) Bihar Renewable Energy Development Agency (BREDA) will be the State Nodal Agency (SNA) for the development of all RE projects except defined RE projects in this section, Bihar State Hydroelectric Power Corporation Limited (BHPC) will be the State Nodal Agency (SNA) for the development of Hydro Power Projects and Bihar State Power Generation Company Ltd. (BSPGCL) will be the State Nodal Agency (SNA) for the development of Pumped Storage Projects in the state. Bihar State Power Generation Company Ltd. will also be Implementing Agency for the development of floating/ground mounted Solar PV Projects & Biomass power projects above 1 MW and all solar power projects along canals and dams across the state.
- b) In addition to the above, Energy Department, Government of Bihar may nominate any government body of the state as Nodal/Implementing agency for different RE technologies defined in this policy.

6. Policy Targets (and Applicability)

- a. The policy intends to promote a diversified project folio spanning across regions and applications. There are four broad project categories based on capacity and application: utility-scale RE, distributed RE, off-grid RE and Energy Storage.
- b. Each technology is further divided based on the deployment location and/or mechanism defined in this policy, the technology wise targets under different categories are:

Technology Categories		FY	FY	FY	FY	FY	Cumulative
(Summary)		25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	Target
RE Target (MW)		3,297	4,134	4,854	5,481	6,202	23,968
Energy Storage Target (MWH)		600	700	1,300	1,400	2,100	6,100
Technology Categories and application areas	Project Capacity	FY	FY	FY	FY	FY	Cumulative
		25-26	26-27	27-28	28-29	29-30	Target
1. Utility-scale RE		3,030	3,767	4,382	4,932	5,542	21,653
1.1. Solar Parks	>=20 MW	50	100	200	250	300	900
1.2. Other Ground Mounted Solar	>=0.5 MW	2,760	3,322	3,722	4,122	4,522	18,448
1.3. Elevated Solar Project (over Ponds)	>=0.5 MW	50	60	80	90	120	400
1.4. Floating Solar	>=0.5 MW	50	75	100	120	150	495
1.5. Agri Voltaic Solar	>=0.5 MW	50	70	80	90	100	390
1.6. Canal Top/Bank Solar	>=0.5 MW	20	30	50	70	80	250
1.7. Geothermal Power Plant	>=5.0 MW	0	0	10	10	30	50
1.8. Biomass Power Plant	>=0.5 MW	30	60	70	80	100	340
1.9. Waste to Energy	>=0.5 MW	10	20	30	50	70	180
1.10. Wind Power Plant	>=0.5 MW	10	30	40	50	70	200
2. Distributed RE(On-Grid)		232	312	407	467	557	1,975
2.1 Rooftop Solar	>=1.0 kW	50	70	100	120	160	500
2.2 Small Hydro Power Plants	< 25 MW	20	30	65	65	70	250

2.3 Other Solar Power Plants (Floating/Ground Mounted/canal top/bank etc.)	< 0.5 MW	30	40	50	70	80	270
2.4 Solar Agriculture (Agri voltaic, Solarization of Agriculture Feeders, Pumps etc.)	< 0.5 MW	50	80	100	120	150	500
2.5 Biomass Power Plant	< 0.5 MW	72	72	72	72	72	360
2.6 Waste to Energy	< 0.5 MW	5	10	10	10	10	45
2.7 Wind Power Plant	< 0.5 MW	5	10	10	10	15	50
3. Off grid RE		35	55	65	82	103	340
3.1 Mini and micro grids	>=1.0 kW	5	10	10	12	13	50
3.2 DRE (Solar for livelihood)	>=1.0 kW	5	15	20	30	40	110
3.3 Standalone Solar Pumps	>=1.0 kW	25	30	35	40	50	180
4. Energy Storage (MWH)		600	700	1,300	1,400	2,100	6,100
4.1 Pumped Storage	>=10 MWH	100	200	300	400	600	1,600
4.2 Grid Level Battery Storage	>=1 MWH	500	500	1,000	1,000	1,500	4,500

Note.—The above targets are time bound, SLSC will ensure periodic review to monitor the progress in the state against envisaged target. Time bound provision may be relaxed only for FY 25-26 and FY 26-27 for planning purpose. In case, target under any technology area has not been met for any FY, the same may be interchanged with other technology area with total target for that FY to remain the same.

7. Policy Objectives

- To harness 23.968 GW of RE and 6.1 GWH of storage by FY 2029-30 through non-conventional RE resources and Energy Storage potential of the state
- To promote new & efficient technique in RE and Energy Storage
- To create encouraging environment and eco-system for RE adoption
- To bring maximum stakeholder participation & actions for RE uptake
- To give special emphasis on innovation and development R&D facility in the State
- To increase livelihood opportunities in the State with RE adoption
- To increase awareness, skill & capacity development for RE integration

8. Eligible Entities

- All registered companies/firms/co-operatives/societies, Start-ups, Government entities, consumers of Discom(s) and individuals will be eligible for setting up of RE Projects within the State for sale of electricity/captive use, in accordance with prevailing regulations.
- Entities desiring to setup RE projects will submit a proposal with requisite details to the State Nodal Agency (SNA) in line with the criteria specified in the Policy to avail the benefits under the Policy.
- Entities/Implementing agencies/Developers will be eligible for setting up of RE Projects under Different mode i.e., RESCO/CAPEX/Hybrid.

9. Thrust Technology areas and Provisions for Development.—This policy ensures harnessing different RE potential technology areas through range of RE technologies, which are as follows:

- ##### 9.1 Solar PV Projects.—
- There are various Governments schemes like Jal-Jeevan-Hariyali Mission, Hybrid Annuity Model (HAM), PM Surya Ghar and PM Kusum Yojana. Under this technology/schemes, solar PV projects of different capacities will be developed; detailed provisions for the development of such projects are as below:

9.1.1 Rooftop Solar PV Projects.—All the electricity consumers of the state are eligible to install rooftop solar projects. Guidelines will be developed for the promotion of such schemes to ensure adoption of rooftop solar projects in the state. The provision for promotion of rooftop solar on all the buildings across the state will be below:

- a. Any Solar Power Plant (Ground mounted/ Reservoirs) integrated with rooftop solar plant within the premises of electricity consumer up to 1000 kWp capacity will be considered under this category.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	up to 1000kWp within the premises of electricity consumers
2	Third Party Sale	Allowed
3	Applicable Tariff	As approved by BERC/mutually agreed (for third party sale)
4	Metering Arrangement	Net Metering/Virtual Net metering/Gross Metering
5	Mode of Development	Capex/RESCO/Hybrid RESCO
6	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)
7	Height of Module Structure	The height of the module structure carrying solar panels will not be counted towards the total height of the building as permitted by building by laws. No approval will be required from concerned Municipal Corporation or Department of Urban Development & Housing for putting up solar plants including any additional system for monitoring the performance of solar plants in existing or new buildings.

9.1.2 Solar PV Projects (other than Rooftop Solar Project).—

- a. The solar projects (other than rooftop solar project) are grid connected projects including but not limited to ground mounted solar, floating solar, canal top/bank solar, agrivoltaics, elevated solar projects over ponds or any other innovative application of solar energy.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	No limit subjected to CTU/STU/Discom injection approval
2	Third Party Sale	Allowed
3	Applicable Tariff	i. For Sale of Power to Discom. —Feed in Tariff/Ceiling tariff for competitive bidding will be defined by BERC. ii. Third Party Sale or Captive Use. — PPA will be executed between the Project developer/owner and the procurer on mutually discussed and agreed rates.
4	Metering Arrangement	Gross Metering
5	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

9.1.3 Development of Solar PV Projects.—Development of Solar PV Projects under different categories will be done in line with the following:-

S.No.	Category	Details of Provisions
1	Solar PV-Ground Mounted (Solar Parks/ Other Ground mounted Solar Plant with and without BESS)	i. The State will promote development of Solar Parks and other Solar Power Plants on Ground. ii. Minimum size of solar park considering the geography of Bihar will be 20 MW. iii. Size of other ground mounted solar projects will be in line with project capacity defined along with targets.
2	Solar PV-Ground Mounted (Elevated Solar Projects over Ponds)	i. The State with an aim to utilize its precious land resource will promote development of Solar Power Projects in elevated fashion over ponds. ii. The SNA will coordinate with concerned departments of the state to carry out feasibility assessment and potential mapping of different water bodies across the state for the development of solar power plants under this category.
3	Floating Solar PV Plant	i. The State will promote development of solar power plants on all types of water bodies like lakes, reservoirs, ponds, dams etc. ii. The SNA will coordinate with concerned departments of the state to carry out feasibility assessment and potential mapping of different water bodies across the state for the development of floating solar power plants. iii. The SNA will facilitate in taking necessary approvals like water lease agreement and invite bids for conducting Environmental and Social Impact Analysis (ESIA) of the water bodies.
4	Canal Top/Bank Solar Power Plants	i. The State will promote development of solar power plants on canal tops and banks. ii. The SNA will coordinate with concerned departments of the state to carry out feasibility assessment and potential mapping of different canal tops /banks for the development of solar power plants. SNA will facilitate in taking necessary approvals for the development of solar plants under this category.
5	Rooftop Solar PV Plant	The rooftop solar PV plant can be deployed under three modes, which are CAPEX (Capital Expenditure) Model, RESCO (Renewable Energy Service Company) Model, and Hybrid RESCO Model. i. CAPEX Model. —In this model the consumer purchases the solar system, by making 100% of the payment upfront or financing the

S.No.	Category	Details of Provisions
		<p>system through a bank or any lending entity.</p> <p>ii. RESCO Model.—Under this model, a RESCO developer finances, installs, operates, and maintains the rooftop solar power plant. The developer signs an agreement with the rooftop owner. The rooftop owner may consume the electricity generated, for which they have to pay a pre decided tariff to RESCO developer on a monthly basis for the tenure of the agreement.</p> <p>iii. Hybrid RESCO Model.—Under this structure, the RESCO developer leases the rooftop of the consumer for setting up Solar Power Plant and sells the power directly to the Discom i.e., PPA is signed between developer and the Discoms. The consumer also signs a net-metering agreement with the Discom.</p>
6	Solar PV Plant for Agriculture Sector	<p>i. Solar Power Projects will be developed under this category with an aim to efficiently utilize precious land for farming and other allied activities along with generation of power to facilitate increasing the income of farmers through sustainable and self-resilient farming as well as non-farming related activities in the state.</p> <p>ii. Under this category, Agri voltaic, elevated solar projects, solar pumps, solarization of agriculture feeders and any other project for increasing the income of farmers will be developed. It should be ensured that installation of solar power plants will not to be promoted with a compromise to agri output.</p> <p>iii. The State in collaboration with the Central Govt./MNRE /MoP/Multi/Bilateral bodies will undertake measures to facilitate development of such projects for the farmers of the state.</p> <p>iv. BREDA will facilitate with government agencies for availing subsidies, grants and/or incentives. The detailed guideline of this scheme will be developed by BREDA in consultation with all concerned stakeholders. The State will encourage grid connected solar pump sets to benefit the farmers by way of sale of surplus energy to the Discoms.</p> <p>v. The solar power projects for the farmers will be developed under the following categories:</p>

S.No.	Category	Details of Provisions
		<p>a. Solar Power Projects on land and water bodies.—The purpose of developing solar power plants under this category is to sustainably utilize land for farming and other allied activities for strengthening agri-value chain along with generation of power. This category will include Agri voltaic power plants, solarization of agriculture feeders etc. The policy intends to demonstrate the potential of Agri voltaic and accruing benefits to the farmers and other rural community. BREDA will promote the development of different types of Agri voltaic systems in the state through gathering more evidence on system performance and crop yield.</p> <p>Solar power plants will be installed for solarizing the agriculture feeders to cater the power requirement for a single or multiple agriculture feeders emanating from a distribution sub-station (DSS) to feed power at appropriate voltage level of the DSS depending on factors like availability of land, technical feasibility, etc., and there is no cap of the capacity of solar power plant for feeder level solarization.</p> <p>Under this category maximum size of individual solar power project at one location will not exceed 5 MW.</p> <p>b. Standalone Solar Pumps.—Under this category, individual farmers of the state will be supported to install standalone solar agriculture pumps of capacity up to 10HP for replacement of existing diesel agriculture pumps / irrigation systems in off-grid areas, where grid supply is not available.</p> <p>c. Solarization of Pumps.—Under this category, individual farmers having electric pumps are being supported to solarize their pumps. Diesel pump owners are also promoted to switch to electric pumps. Farmers will be provided with solar panels of appropriate capacity to facilitate them to use the generated solar power to meet the irrigation needs and sell the surplus solar power. Discoms will buy the surplus power from the farmers at the per-determined rate to be decided by BERC. Solar PV capacity up to two times of pump capacity in kW is allowed under the scheme.</p>

S.No.	Category	Details of Provisions
7	Decentralized Distributed RE generation Plant	<p>i. DRE livelihood applications.—DRE livelihood applications can be defined as applications powered through a RE source, the applications could be solar dryer, solar powered cold storage/chillier, solar powered EV charging facility, solar charkha, etc., which help in earning livelihoods.</p> <p>The State will promote decentralized and off grid solar applications of solar power for creating livelihood opportunities as per the guidelines issued by MNRE. SNA will also devise state centric guidelines for the promotion of livelihood through DRE applications. SNA will coordinate with different implementing agencies and schemes of different Ministries/Departments and provide technical support for DRE livelihood applications. Alternatively, SNA will be appointed as implementing agency for DRE livelihood applications in the state.</p> <p>ii. Solar Powered Mini-Micro Grid.—Solar Powered mini-micro grids will be developed preferably to the area with poor reliability/no electricity/to bring distribution efficiency. Further, a special focus would be on solarizing different sectors like healthcare, education, agriculture and promoting productive use of solar electricity. State will formulate a separate mini & micro grid policy or guideline for smooth implementation of these projects.</p> <p>iii. Greening of Villages/City/Districts.—The State will promote developing Greening of Villages/City/Districts with the provision of catering the 100 % demand of the Villages/City/Districts with different RE potential technologies as per its feasibility at the region.</p> <p>iv. Other Off-Grid Applications.—The State will promote off grid solar applications to meet the requirements of electricity and thermal energy, as per the guidelines issued by MNRE and State.</p> <p>The State will promote setting up of solar power plants for sale of power to consumers through its own distribution system/local solar grid. The State will also promote setting up of stand-alone solar systems to provide electricity to households in remote villages/ hamlets (tolas) or areas with poor reliability of electricity.</p> <p>SNA will identify priority areas/sectors for deployment of off grid Solar PV power</p>

S.No.	Category	Details of Provisions
		plants like standalone Solar Plants, solar home systems, Solar Street lighting system, Solar mid-mast lights etc. and take necessary action, in time bound manner, to implement the off grid solar systems in those priority areas/sectors with the approval of the State government.

9.2 Bioenergy/ Waste to Energy Projects.—

- a. The State will encourage setting up of biomass/biogas projects/bio CNG/ bio manure/ biofuel/bio pallets/waste to energy etc. to meet the requirements of energy as well as non-energy applications in line with the guidelines issued by MNRE, as amended from time to time.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	No limit subjected to CTU/STU/Discom injection approval, and bio-waste availability per annum
2	Third Party Sale	Allowed
3	Applicable Tariff	As approved by BERC
4	Metering Arrangement	Net Metering up to 1 MW Gross Metering above 1 MW
5	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

- b. The State will adopt “National Bioenergy Programme (2021-2026)” (subjected to future amendments) for developing different bioenergy projects as mentioned below:
- i. **Waste to Energy Programme** (Programme on Energy from Urban, Industrial and Agricultural Wastes /Residues) to support setting up of large Biogas, Bio CNG and Power plants (excluding MSW to Power projects).
 - ii. **Biomass Programme** (Scheme to Support Manufacturing of Briquettes & Pellets and Promotion of Biomass (non-bagasse) based cogeneration in Industries) to support setting up of pellets and briquettes for use in power generation and non-bagasse-based power generation projects.
 - iii. **Biogas Programme** to support setting up of family and medium size Biogas plants in rural areas.

9.3 Small Hydro Power Projects.—

- a. The state will encourage the development of small hydro projects installations for power generation, subjected to the approval from BHPC.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	Subjected to approval from BHPC, and CTU/STU/Discom injection approval
2	Applicable Tariff	i. For Sale of Power to Discom. —Feed in Tariff/ ceiling tariff for competitive bidding will be defined by BERC (Can be fixed or mix of fixed and variable cost). ii. Third Party Sale or Captive Use. —PPA will be executed between the Project developer/owner and the procurer on mutually discussed and agreed rates.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
3	Mode of Development	Under Competitive Bidding by BHPC
4	Sale of Power	Sales to Discom as per contract If surplus power available after Discom purchase requirement, the developer will be free to sell power within or outside the state.
5	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

- b. “No free power” or “Local Area Development Fund (LADF)” will be applicable for small hydel projects.

9.4 Wind Power Projects.—

- a. The state will encourage the development of wind power projects to harness the huge potential of wind energy in the state.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	No limit subjected to CTU/STU/Discom injection approval
2	Third Party Sale	Allowed
3	Applicable Tariff	i. For Sale of Power to Discom. — Feed in Tariff/ Ceiling tariff for competitive bidding will be defined by BERC. ii. Third Party Sale or Captive Use. — PPA will be executed between the Project developer/ owner and the procurer on mutually discussed and agreed rates.
4	Metering Arrangement	Gross Metering
5	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

9.5 Pumped Storage Projects.—

- a. The state will encourage the development of pumped storage projects for the fulfillment of peak energy demand requirements, Energy Storage Obligation, and other compliance by MoP and MNRE from time to time.

S.No.	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	Subjected to approval from BSPGCL/BHPC, and CTU/STU/Discom injection approval
2	Applicable Tariff	As approved by BERC (including peak demand Tariff)
3	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

- b. Guidelines issued by MoP/MNRE will be adopted for development of such projects in the state. SNA will also devise state centric guidelines for promotion of such projects.

9.6 Hybrid RE Projects (Solar/Wind + Other Renewable Energy technologies) .—

- a. The state will encourage the development of hybrid RE power projects consist of solar/wind plus other RE generating technologies.

S.No	Parameter	Details of Provisions
1	Capacity of the Plant	No limit subjected to CTU/STU/Discom injection approval
2	Third Party Sale	Allowed

S.No	Parameter	Details of Provisions
3	Applicable Tariff	i. For Sale of Power to DISCOM. —Feed in Tariff/ Ceiling tariff for competitive bidding will be defined by BERC. ii. Third Party Sale or Captive Use. — PPA will be executed between the Project developer/owner and the procurer on mutually discussed and agreed rates.
4	Metering Arrangement	Gross Metering
5	Energy Accounting	Per Billing Cycle (Defined by BERC)

9.7 Other RE technologies.—

a. The state will encourage the development of other RE technologies as below:

S.No	RE Technologies	Details of Provisions
1	Solar Thermal Projects	i. The State will promote use of solar thermal energy for the development of solar thermal power projects and industrial heating requirements as per the guidelines of MNRE. ii. BREDA will facilitate to proliferate its application in feasible sectors including residential (solar water heaters, solar cookers, in-door air heating etc.), commercial & industrial sector (solar cooling, solar air dryers, large scale solar water heaters, large scale solar cooking utilizing solar concentrator technology, process heating etc.).
2	Green Hydrogen Projects	i. The State will encourage setting up of green hydrogen projects in line with National Green Hydrogen Mission with an aim to decarbonize industrial, mobility and energy sectors; reduction in dependence on imported fossil fuels and feedstock; development of indigenous manufacturing capabilities; creation of employment opportunities; and development of cutting-edge technologies. ii. The State in consultation with central agency will devise provisions for developing pilot projects in emerging end-use sectors and production pathways.
3	Geothermal Projects	i. The State will encourage setting up of geothermal energy projects in line with potential identified in the state. ii. The State in consultation with central agency will devise provisions for developing pilot projects in emerging end-use sectors and production pathways for increasing the penetration of geothermal energy in the state energy mix.
4	Other RE Projects	The state will encourage setting up of any other RE technology as defined by state/central government time to time and will devise modalities for developing pilot project for exploring further state centric options.

10. Useful Life of RE Projects *Different RE projects have following useful life:*

<i>S.No</i>	<i>RE Project</i>	<i>Useful Life (Years)</i>
1.	Wind energy power project	25
2.	Biomass power project with Rankine cycle technology	25
3.	Non-fossil fuel cogeneration project	25
4.	Small Hydro Plant	40
5.	Pump storage Project	40
6.	Municipal Solid Waste (MSW)/Refuse Derived Fuel (RDF) based power project	20
7.	Solar PV/Solar thermal power project	25
8.	Geothermal Power Projects	20
9.	Biogas based power project	25
10	Biomass Gasifier based power project	25

11. *Incentives.*—To enable RE capacity addition in the State, the following incentives will be provided for eligible entities for those projects being installed during the operative period of this policy.

- 11.1 *Applicability.***—RE projects commissioned in the State and PPA signed for the same in the operative period of this policy will be eligible for declared incentive under this policy for a period of useful life of the project or any defined period from the date of scheduled commissioning of the projects.
- 11.2 *Electricity Duty.***—100% exemption on electricity duty will be provided to captive/open access consumers on consumption of power from RE projects set-up within the state during the policy period. Such electricity duty exemption will be reimbursed from the concerned utility and will be applicable for consumption of power from such projects for a period of 15 years from the date of commissioning of the project.
- 11.3 *State Goods and Service Tax (SGST)*** .—100% exemption from the payment of SGST for all the materials required for development of RE projects and EV charging stations will be provided by the Commercial Tax Department for a period of 5 years. The applicable amount will be reimbursed from the department as per GST Council Recommendation.
- 11.4 *Open Access.***—Intra-state, open access clearance for the whole tenure of the project or 25 years whichever is earlier will be granted. In absence of any response or intimation from the Discoms/Transcom to the RE generator within 30 days, then such application will be considered to be deemed open access. The applicable charges will be governed by BERC regulations for the same.
- 11.5 *Stamp Duty.***—100% reimbursement of stamp duty/registration fees levied on lease/ sale /transfer of industrial land/shed as also those outside the jurisdiction of Bihar Industrial Area Development Authority would be available to all the new units after the unit commences the commercial production. This reimbursement of stamp duty and registration fees will be granted only for the first time and will not be applicable in subsequent stages of lease/sale/transfer. This incentive will be available to new units only as per Indian stamp act 1899 under section 9 (1) & under section 78 of registration act 1908 in state Gazette. If any existing units setup RE Plant or goes for expansion of RE Plant, done it will be treated as new unit only for setting up additional new RE capacity plant.
- 11.6 *Free Power and Local Area Development Fund (LADF).***—No free power or Local Area Development Fund (LADF) will be applicable for the development of small hydel projects within the state during operative period of this policy.
- 11.7 *Land Conversion Charges.***—100% reimbursement of land conversion fees/ change in land use fees being levied for conversion of agricultural land after the unit commences the commercial production as per Bihar agriculture land (conversion for non-agricultural purpose) act 2010.

- 11.8 Exemption from transmission and wheeling charges.**—Exemption of 100% on transmission and wheeling charges on RE projects developed for power consumption within the state for a period of 15 years from date of commissioning of the project. Grid connected RE projects with storage systems selling power within the state will attract higher exemption from transmission and wheeling charges for a period of 20 years from the date of commissioning of the project in line with Ministry of Power, GoI and will be applicable for intra State only. The details of the exemption will also be specified in the bidding document for projects developed through bidding route. The transmission and distribution losses will be applicable in line with BERC regulations as amended from time to time.
- 11.9 STU Charges.**—Exemption on STU Charges will be provided to captive/open access consumers on consumption of power from RE projects commissioned in the state during operative period of this policy in line with BERC regulations for the state.
- 11.10 Banking Charges.**—Banking of 100% of RE will be permitted for all captive and open access/ scheduled consumers during all 12 months of the year. Banking charges and other clauses will be applicable for all RE projects commissioned in the state during operative period of this policy in line with BERC regulations as amended from time to time.
- 11.11 Tariff Mechanism.**—
- a. **Feed-in-Tariff (FiT).**—BERC will announce separate feed-in-tariff for different technology areas, in order to facilitate flourishing of defined RE technology areas in the state. State may further give directions to BERC to further devise technology as well capacity centric FiTs considering the state centric scenarios for the promotion of RE in the state.
In addition to above, BERC may introduce time-of-the-use RE feed-in tariffs to encourage RE projects and storage operators to feed-in energy into the grid when demand is high.
 - b. **Solarization of Agriculture Feeder.**— Discoms are promoted to determine the appropriate ceiling tariff that adequately captures the smaller project sizes and higher transaction costs and may consider revision if required to implement the solar for agriculture scheme. In addition, distribution substation wise solar evacuation capacity will be published in transparent manner especially for agriculture dominated districts by Discoms.
 - c. **Green Tariff.**—To promote consumers to opt for green energy, BERC may introduce ‘Green Tariff’ for all consumers, including extra high voltage, high voltage, and low voltage categories. Green tariff rate will be either lower than or equivalent to the average pooled power purchase cost from different RE sources of energy of Discom to encourage early movers.
In addition, if the consumer is not an obligated entity under RPO Regulations, the procurement of power will be considered towards RPO fulfilment of Discom.
 - d. **Virtual/Group Net Metering.**—To promote and facilitate the eligible consumers, especially located in the urban/rural centers of Bihar and having constraints like access to adequate rooftop area/ inaccessible rooftops, etc. and various entities having multiple electricity connections, Virtual Net Metering (VNM), including Group Virtual Net Metering may be promoted with suitable regulations.
- 11.12 Single Window Facility.**—
- a. A dedicated Single Window Cell will be created by BREDA to ease time bound approval of the projects.
 - b. Submission of proposal for RE projects under all the categories will be submitted through the single window facility. In case the project development is carried out through bidding process, the developer will submit the relevant documents to single window cell for required facilitation approval from different stakeholders.

- c. All the statutory clearances and approvals will be provided to the RE projects through this single window facility in a time bound manner within 60 days from date of submission of proposal through this facility.
- d. BREDA will facilitate RE project developers in obtaining all necessary clearances/approvals and incentives from different Government departments through this single window facility as specified in the Policy.
- e. This facility will be extended to the projects under the solar for agriculture scheme as applicable to reduce the challenges of inter-department coordination.
- f. The modalities of the single window clearance mechanism will be notified within 90 days from the date of issue of this policy.

11.13 Carbon Credit/Carbon Pricing.—The RE generating entity will retain the entire proceeds of carbon credit, if any, from an approved Clean Development Mechanism (CDM) project or mechanism under United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) or any other mechanism developed by government of India. State will develop its own carbon credit and trading platform to promote deployment of RE projects and decarbonize its carbon footprint.

11.14 Deemed Industry Status.—All RE plants will be treated as ‘industry’ under the schemes administered by the prevailing Industrial Policy of Bihar and incentives available to industrial units will be available to the RE projects. BREDA will recommend for sanctions and disbursement of the subsidy/incentives contained in Bihar Industrial Policy and any amendments from time to time. For subsidy/incentives flowing out from this policy not covered under the State Industrial Policy, a committee would be constituted by the Energy Department.

In case of any inconsistency between the prevailing Industrial Policy of Bihar and this policy, the provisions under this policy will prevail.

11.15 Promotion of setting up of RE based Electric Vehicle (EV) Charging Stations.—The shift to clean and green mobility has been a necessity due to increase in carbon emission from fossil fuel which leads to global warming and ultimately climate change. The rapid increase in fossil fuel consumption due to rising vehicular movement has led to increase in pollution and an adverse impact on economy because of the rising import bill.

The above factors are main reasons for adoption of EVs and supporting technologies. The requirement of suitable grid-connected electricity has been a major challenge for establishing sufficient charging stations for the EVs. Charging of EVs from electricity generated from non-conventional sources further facilitates reduction of carbon footprint. In view of the above, the State will promote the use of renewable energy for charging of EVs in the following manner:

- a. The Charging Infrastructure will be developed as per the guidelines and standards issued by Ministry of Power/ Central Electricity Authority/ State.
- b. The EV charging stations may be established by the State/Central Public Sector Undertakings, private operators or under public private partnership models.
- c. Government land will be allotted at 50% concessional rate to first 1000 nos. or 50 MW (whichever is higher) RE-based EV charging stations installed within 5 years from the date of commencement of this Policy.
- d. The charging station service providers may set up RE generation plants within their premises for captive use and may also draw RE power through open access from generation plants located within the State to avail the benefits as provided 100% exemption in normal transmission and wheeling charges for a period of 25 years from the date of establishment of EV charging Station.

- e. The aforesaid benefits would also be available to the chain of EV charging stations owned by a single service provider.
- f. The State will support Research & Development activities regarding promotion and use of RE by EV charging stations.
- g. Electricity tariff applicable for all Public and Captive charging stations for commercial use (i.e., charging facilities used by fleet owners) will be notified by BERC

11.16 Must Run Status.—SLDC will ensure 'Must Run' Status of all RE projects in the State in accordance with applicable BERC Regulations and maintain the data of power curtailment of different RE projects in a transparent manner. All RE projects will forecast and schedule their generation as per applicable BERC Regulations as amended from time to time. The feeders encompassing RE projects will be managed to ensure their must run compliance by keeping the priority feeders (feeders with cumulative capacity of RE projects more than 1 MW with at least one plant of size 0.5 MW) 'ON' during operating hours of the projects. Project developer of plant size 0.5 MW and above will share the technical details of plant duly signed by concerned official of Discom/Transcom to SLDC for meeting the above requirements.

11.17 Minimum Generation Compensation.—The loss in generation of RE power from projects developed within the state due to failure of grid, except during events like consideration of grid security or safety of any equipment or personnel or other such conditions, the RE generator will be eligible for a Minimum Generation Compensation from the procurer of power in line with penalty clause for non-compliance of Must Run status.

12. Penalty for Non-compliance of Must Run Status.—Penalty will be applicable in case the concerned utility will not fulfill the conditions to ensure must run status of RE projects developed in the state during this policy period. The RE Projects installed in the state are priority projects and infrastructure facility will be developed to comply their must run status. To comply the must run status of the RE projects, the Discoms/Transcom will keep priority feeders (feeders with cumulative capacity of RE projects more than 1 MW with at least one plant of size 0.5 MW) 'ON' during operating hours of the projects. In case the RE plant doesn't meet the criteria of must run due to failure of grid, except during events like consideration of grid security or safety of any equipment or personnel or other such conditions as may be intimated by SLDC or any competent authority, the RE Generator will be eligible for a Minimum Generation Compensation, from the procurer of power, in the manner detailed below.

Minimum Generation Compensation = 100% of [(Average Generation per hour during the month) × (number of backdown hours during the month) × PPA Tariff]

where, Average Generation per hour during the month (kWh) = Total generation in the month (kWh) ÷ Total hours of generation in the month Compensation will only be applicable in case generation from the power projects would be less than the threshold generation. Threshold generation will be defined in line with applicable CUF of the generating unit defined as per the procurement agreement between the developer and procurer.

The RE generator will be eligible to claim the requisite amount from concerned procurer of power, BREDA will provide necessary support for the same. Concerned Power Procurer will submit the penalty amount to the single window account. This clause will only be applicable for the projects where the power procurement is done by state Discom.

13. **Mandatory use of RE sources.**—State will issue amendments to the Building Rules, making the use of solar water heating systems mandatory for all designated new Houses/buildings/Marriage halls/hotels/hostels etc. with an area of more than 350 Sq. metre. Installation of solar water heating systems will be made mandatory for industries having hot water boiler/steam boiler using fossil fuel. Large Industries having 1000 KVA and above as connected load, will be mandated to install solar PV project to offset their electricity demand.
14. **Convergence of Schemes.**—State will devise necessary provisions for the convergence of different government schemes for integration and coordination of various programs, funds, and expertise across different departments and agencies for the promotion of RE project development in the state. The aim of this initiative is to optimize public investments and enhance their impact on the people of the state.
15. **Resource (land/Canal/reservoir/River/Rooftops etc.).**—It is the responsibility of the project developer to acquire the required resource for setting up the project. However, in case of resource owned by state government, allotment will be done as per the prevailing government policy.

BREDA will also create a 'Resource Information Bank' for every district which will be made accessible online through BREDA website. Resource owners, including farmers may come forward and provide the details of their resource to the concerned officials or BREDA. The district level officer of the concerned resource will gather details of their source suitable for deployment of RE projects in the respective district; BREDA will collect the same at the state level. BREDA will also take initiatives to aggregate resources that can be used for development of RE projects from the different stakeholders.

All the state government departments will be requested to provide a list of number of rooftops that may be used for rooftop solar projects. As a mandate, all government rooftops will be utilized for setting up of grid connected solar rooftop project. The project will be executed through BREDA, or any designated nodal agency nominated by the Energy Department.

The project developers can directly purchase private land for setting up projects and use of agriculture land will also be allowed as per provisions of State Industrial Policy. Government departments may transfer land to BIADA for allocation to solar projects on a rental basis. Transfer land will be updated in BIADA's vacant list and allocate to solar projects in the Project Clearance Committee (PCC) meeting. Projects with an operational life of 25-30 years will be allotted land from BIADA or outside BIADA on lease basis agreement.

For allotment of resources, the Bihar Renewable Energy Resource Allotment Committee (BRERAC) will take all decisions related to resource allotment. The committee will also be responsible for returning back the resources to the respective department after expiry of the lease agreement. The committee will have the following members:

(i)	Chief Secretary – Government of Bihar	Chairperson
(ii)	Secretary /Principal Secretary, Department of Energy	Member & Convener
(iii)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms Department	Member
(iv)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Water Resources	Member
(v)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Agriculture	Member

16. **Environmental Clearance.**—As per the notification from Ministry of Environment, Forest and Climate Change, following pointers must be noted:
- a) Power plants upto 25 MW, based on biomass and using auxiliary fuels such as coal/lignite/petroleum products upto 15% are exempted.

- b) Power plants up to 25 MW, based on non-hazardous waste municipal and using auxiliary fuels such as coal/ lignite/ petroleum products up to 15% are exempted.
 - c) Power plants using waste heat boiler without any auxiliary are exempted.
 - d) Bihar State Pollution Control Board will also issue clearances within 30 days from the date of application.
 - e) All rules & notification from Ministry of Environment, Forest and Climate Change regarding RE projects will be applicable.
- 17. *Building RE Based Manufacturing Capacity.***— The state government will focus on creating adequate ecosystem for the promotion of RE based equipment manufacturing facilities. For solar, the focus will not be confined to solar PV module assembling, manufacturing facility to strengthen the solar value chain starting from polysilicon to solar modules will be promoted. Manufacturing of Balance of System as well as assembling of equipment for applications like mini grids, solar streetlights, solar irrigation pumps, etc. will also be promoted in the state. Promotion of manufacturing capacity will be done in collaboration with other departments by enabling provisions for establishing special economic zones in the states. The state government will take following actions in this regard.
- a. Priority allotment of Government land in solar parks/other RE parks on a long-term lease basis.
 - b. Electricity duty will be waived for the new manufacturing facilities for RE and other related components for a period of 5 years.
 - c. 100% exemption on stamp duty.
 - d. Reimbursement of SGST based incentive to all RE equipment manufacturers.
 - e. 100% reimbursement of custom duty paid on input required for manufacturing solar RE equipment battery storage for a period of 5 years.
 - f. Any other incentives provided in the prevailing Bihar Industrial Policy and any amendments from time to time.
- 18. *Research and Development (R&D) and Stakeholders Engagement for Innovation.***—
- a. BREDA will collaborate with multilateral Agencies at local/ National/ International levels for advancing RE research and development in the State for technical and financial support.
 - b. BREDA will work with concerned departments to support pilot demonstration for carrying out end-of-life waste management.
 - c. BREDA will undertake research through identification of different focus areas for further Policy Interventions. The focus areas will be decided by BREDA in consultation with the Bihar R & D and Innovation Committee for every financial year.
 - d. Minimum 5 % of the total budget for a financial year will be dedicated for Research and Development (R&D). This includes piloting a project under focus area, trainings for internal human resources of the state and other support for commercialization of RE project in the state.
 - e. Dedicated R&D Centre for RE will be made operational initially under BREDA, the same may be developed as an independent entity of the state for performing the above roles.
 - f. Bihar R & D and Innovation Committee will take decision for the development of a separate entity like Bihar Energy Research and Management Institute for performing all works related to R&D, Innovation, Trainings etc.
 - g. Dedicated human resource(manpower/experts) will be engaged under BREDA for performing all necessary work like engaging with state/central government/ expert organization/ any other entity for facilitation the project development on the focus area.
 - h. BREDA will collaborate with multilateral Agencies at local/ National/ International levels for bringing innovations considering the state centric scenarios.
 - i. BREDA will organize national/state/district level consultation with workshops/ challenges to bring innovation to solve ground level issues in the state through

renewable energy. Minimum two number of such workshop/challenges will be organized in every financial year.

- j. A committee will be formed namely Bihar R & D and Innovation Committee for organizing the workshop/challenge will be as below:

i.	Director – BREDA	Chairperson
ii.	Managing Director – BHPC or their representative	Member & Convener
iii.	Managing Director – NBPDCCL or their Representative	Member
iv.	Managing Director – SBPDCL or their Representative	Member
v.	Managing Director – BSPTCL or their Representative	Member
vi.	Managing Director – BSPGCL or their Representative	Member
vii.	Director – IIT Patna or their Representative	Member
viii.	Director – NIT Patna or their Representative	Member
ix.	President – Bihar Industries Association or their Representative	Member
x.	Renewable Energy Expert (Nominated by BREDA)	Member
xi.	Renewable Energy Project Developer	Open Representation

19. Payment Security Mechanism (PSM) .—

- The Nodal Agency in consultation with the departments will set up a payment security mechanism for the sale of electricity to Government Departments and Discoms in line with MoP guidelines.
- The Nodal Agency may explore option of creating the PSM by means of creating ESCROW accounts of the department and the developer and the first right of way with the developer for collection of undisputed dues which the department may have failed to pay in time.
- The Nodal Agency may also create the PSM with Post-dated cheques (PDC) or Bank Guarantees from Government Department equal to at least Six Months Energy Bill.
- The Nodal Agency will also provide assistance to the developers by engaging with the government department and arranging for documents required for availing finance.
- The Nodal Agency will facilitate the renewable plant developers to avail the subsidy available from Central and/or State Government.

- 20. Data monitoring.**—Availability of data plays a key role for project developers and system installers while making investment decisions. State will set up new precedents in data transparency and will endeavor to have the performance data of projects in public domain through its web portal and through mobile application. All new projects to be set up in Bihar will be mandated to record and provide real time data pertaining to plant performance, which will be collated and presented on the web portal. Once implemented for grid connected projects, the data monitoring plan will be extended to off-grid and decentralized projects as well. The data such collected will help in identifying the key factors affecting the plant performance and then work on ways to improve operational efficiencies of projects.

The state government will also set up 10 weather stations with support from NIWE at locations suitable for setting up of different RE projects, including the proposed RE parks. RE resource data is required by the project developers to estimate generation from project, hence, to calculate the financial returns. This will provide the project developers with the information that is bankable and will reduce the possibility of project failure at the stage of financial closure.

21. Transmission and Distribution Infrastructure.—

Requirements:

- Grid integration will be in accordance with Central Electricity Authority (CEA) technical guidelines “Technical standards for connectivity to the Grid (Amendment) Regulations, 2019”.

- b. Interconnection voltages:

RE Project Capacity (C)	Interconnection Specification
$1\text{kW} < C \leq 7\text{ kW}$	220 V, 1 ϕ /3 ϕ
$7\text{ kW} < C \leq 100\text{ kW}$	220V/ 440V/ 11kV, 3 ϕ
$100\text{ kW} < C \leq 5000\text{ kW}$	11kV/33kV, 3 ϕ
$C > 5000\text{ kW}$	33kV/132 kV/ 220 kV, 3 ϕ

Note: As per the technical feasibility at the site.

- c. The grid interconnection will be in accordance with the prevailing norms of BERC, CERC, and CEA, as amended from time to time.
- d. The respective evacuation and interconnection facility will be initially approved by CTU / STU / Discom depending on the injection level, spare network capacity and other system studies as per feasibility of existing infrastructure.

Provisions:

- a. For all identified resources by BREDA/Nodal Agency for the development of megawatt scale RE projects, state transmission/distribution utilities or the Special Purpose Vehicle/ Joint Venture of the state government in CAPEX, as the case may be, will construct/augment the necessary green grid infrastructure for connectivity and evacuation of RE power from generating point through the nearest substations. All costs of construction of transmission network for the evacuation infrastructure in this case will be borne by the State Government. Bidding for project development will be conducted only once the necessary pre-development activities at the designated resource sites are completed or nearing completion. Projects deployed in this case will be first utilized to meet the RPO of the state Discoms before sale to any other entity within or outside the state.
- b. For RE projects developed within the state, transmission/distribution utilities will bear the cost of development of transmission/distribution line and other necessary infrastructure like metering and protective instruments up to a distance of 10 km. In case the distance between the inter-connection point and point of grid connectivity is more than 10 km then the cost of development of transmission/distribution line and other necessary infrastructure for the distance beyond the 10 km will be borne equally between the developer and the transmission/distribution utilities. Concerned transmission/distribution utilities are applicable for claiming all above cost from the state government.
- c. Any upstream system strengthening requirement will be borne by transmission/distribution utilities on a priority basis. Supervision charges levied by the transmission/distribution utilities will be exempted for all RE power projects except utility scale RE power projects. Transmission/Distribution utilities will process and close the proposals for technical feasibility within thirty (30) days of receipt of application from the RE project developers. All the proposals will be submitted through online application portal of BREDA. The rate for the development of infrastructure facility will be in line with SoR of concerned transmission/distribution utilities. In case developer develops the transmission/distribution infrastructure, the same will be disbursed by concerned utility in consultation with BREDA as per the above rate.
- d. In case, there is no excess capacity left for power evacuation at any Substation/DT, concerned Transcom/discom will enhance the substation/DT capacity for catering the power produced from new RE project in the area. No rejection of any RE project will be allowed due to non-availability of power evacuation capacity at any Substation/DT.
- e. It must be ensured that the cost for the development of evacuation infrastructure for RE projects should not passed on to the consumer tariff. SLSC has right to modify the range for the development of evacuation infrastructure upto 10 km to any required length for the promotion of RE projects for state interest.

Note:— BREDA/Nodal Agency will carry out fund assessment in line with target in the policy and submit the same to Department of Energy.

22. Power Sale Mechanism

22.1 RE Power projects for Sale of Power to Discom.—The competitive bidding route will be followed for procurement of power by Discoms from different RE projects considering the threshold capacity for the concerned technology, as approved by the State/Government of India, from time to time. Moreover, this RE Policy recognizes threshold capacity for all RE projects to be 5 MW, the same may be revised by BERC from time to time in line with central government orders. Procurement of power, from grid connected RE Projects, having individual size of 5 MW and above, will be done through competitive bidding.

Below the threshold capacity, BERC will devise separate technology centric feed in tariff (FiT) for purchase of power from different RE generating units. FiT will remain firm for all capacities below the threshold capacity, no competitive bidding will be performed for the same.

In order to facilitate flourishing of different technology areas of RE in the state and capacity enhancement constraints, BERC may be asked to devise technology as well capacity centric FiTs considering the state centric scenarios.

22.2 RE Power projects under Renewable Energy Certificate (REC) Mechanism.—The State will promote the development of RE power plants through purchase of power under the REC mechanism in accordance with the administrative procedure regarding registration and accreditation, as decided by the state or Central Electricity Regulatory Commission (CERC) and its amendment time to time.

BREDA being the state agency will extend its support for the accreditation of the RE power plant and recommending its registration with the Central Agency in a time bound manner. In carrying out its role, BREDA will be guided by any directions given to it by BERC for the implementation of the framework, from time to time. BREDA in consultation of state Discoms will formulate guidelines for the development of RE projects under REC Mechanism.

22.3 Renewable Power Plants for Sale of Electricity to any entity other than the Discom (Third-Party Sale).—The State will promote development of RE power plants for sale of electricity to any entity other than the Discoms. The sale of electricity by the owner of RE power plants to any other entity will be considered as Third-Party Sale. RE Power Projects may be installed for Third-Party Sale without any capacity restrictions. Discoms will provide open access approval in time bound manner to promote third party sale of power.

23. Bihar Akshay Urja Kendra.—BREDA will open a dedicated Bihar Akshay Urja Kendra in every district with the following objectives and responsibilities:-

- a. To give information about the policy, program, and subsidy level information to the local people.
- b. To organize local level Skill Development and Capacity Building support for the promotion of RE and related practices.
- c. To organize Urja Mela with an aim to showcase different products available under different technology areas.
- d. To act as a one-point center for service level support in consultation with the developers/OEMs.
- e. Any other support at the district level as planned by BREDA/Implementing Agency.

23.1 Mode of Development and Management:-

- a. BREDA will empanel at least two developers/OEMs for supply of appliances and post supply support through their local level service centers for every district.
- b. Promotion will be done about the appliance, applicable rate, and subsidy provisions under different schemes of government (state/central).
- c. Two technical resources from every developer/OEM will be stationed at the Bihar Akshay Urja Kendra for providing technical support and trainings as required.
- d. Details of all the sold appliances will be made available to BREDA post supply for defined period of the appliance.

24. Application Process.—

24.1 Submission of Proposal for project development.—BREDA will be the one-point contact for inviting proposal for the development of all RE projects, eligible entities may avail all the necessary support described under in this policy for the development of different RE projects. The eligible developer will submit their proposal with all necessary documents through single window portal for availing the benefits under this policy. Proposal will be submitted online/offline to BREDA office, the required documents for submission of proposal and availing the benefits under this policy are as follows:

- a. Detailed Project Report (DPR) of the Project.
- b. Startup India Recognition certificate/ Udyam Certificate/NSIC Certificate/ Certificate issued by Concerned Industry Dept. for involvement in related business.
- c. Firm's registration certificate/ Registration certificate.
- d. GST certificate.
- e. PAN Card
- f. Audited Balance sheet of at least one year, if applicable.
- g. Income tax return certificate of at least one year.

24.2 Application Charges.—BREDA will charge following processing fee (non-refundable):

S.No.	Plant Capacity	Processing Fee
1	<10 KW	Rs. 1,000 /-
2	>=10 KW but <100 kW	Rs. 2,000 /-
3	>=100 KW but <500 kW	Rs. 5,000 /-
4	>=500 KW but <1000 kW	Rs. 10,000 /-
5	1 MW and above	Rs. 50,000 /- per MW maximum Rs. 5 Lakh per proposal

Note.— Only commercial category projects will bear above fee. The projects developed under above mode will be considered to be deemed registered with BREDA once the projects start commercial operations. In this case developer will take a registration certificate from BREDA after submission of necessary documents with BREDA.

25. Bihar Renewable Energy Development Fund (BRDF).—State will create Bihar Renewable Energy Development Fund (BRDF), this fund will be utilized for facilitating the state to meet the objectives defined in this policy. BREDA will organize committee members meeting within 3 months from the date of notification of this policy to discuss on the structure for management of BRDF and department wise responsibility for fund management. The detailed attributes of BRDF are as below.

25.1 Objectives.—

- a. Providing all the financial incentives as envisaged in this policy for development and deployment of RE Projects in the state.
- b. Focus on Research and Development relating to different RE technologies.
- c. Supporting startups in the field of RE and its innovative applications in the state.
- d. Capacity building support for creating a conducive environment for RE acceleration in the state.

25.2 Fund Creation.—Necessary work for fund creation and co-ordination with the concerned department will be carried out by BREDA and other Nodal Agency nominated by Energy Department. A Fund Management Unit will be created within BREDA for all necessary work related to fund creation, this unit will constitute one official from BHPC and BSPGCL. BRDF will be created through the following modes:

- a. Fund allocated to the state through the state/central government under different schemes, RE programs and green budget etc.
- b. The fund created through application fees for proposal submission and registration charges for the projects.

- c. The fund created through collection of penalties from obligated entities under default by BERC as per BERC (Renewable Purchase Obligation & its Compliance) Regulations notified by the Commission from time to time.
- d. Fund created through incentive/penalty imposed under Energy Conservation Building Code (ECBC) in line with BERC Regulations.
- e. The fund created through collection of fixed and variable charges from common infrastructure facility for RE projects/manufacturing units in solar parks, exclusive manufacturing zones etc.
- f. The fund created through revenue generated from sale of power from all RE plants developed within state. All RE power developer will contribute an amount of 1 paise per unit of electricity produced from different RE power projects developed within the state.
- g. Fund created through contributions from any other sources such as funding by bi-lateral or multilateral organizations.
- h. Fund created through Corporate Social Responsibility (CSR) of different entities in the state.
- i. Fund created through National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)/Power Finance Corporation (PFC)/REC/Banks in line with priority sector lending or any other financial mechanisms for facilitation in the development of RE projects through multiple financing models.
- j. Fund allocated to the state under National Adaptation Fund for Climate Change (NAFCC) to meet the cost of adaptation and mitigation to climate change.
- k. Any other fund allocated to the state for adaptation, mitigation support and development of RE and EE Projects from time to time.

Note.— Minimum of 50 % of the funds required for encouraging implementation of targets identified under this policy for development of RE and Storage projects, skill development etc. will be created within first quarter of every financial year. The yearly targets and respective fund requirement will be produced by BREDA before the Bihar Renewable Energy Development Fund Committee considering the above timelines.

25.3 Fund Utilization Areas.—BRDF will be utilized for meeting the following attributes: -

- a. Establishment support to BREDA and other Nodal Agency nominated by Energy Department.
- b. The upfront charges involved for the development of infrastructure for facilitating the deployment of utility scale/distributed RE projects like solar parks, manufacturing zones, other common infrastructure facilities etc.
- c. Development of evacuation infrastructure for facilitating the installation of distributed RE projects.
- d. Creation of skill development centers and organizing capacity building & training sessions for skilled workforce development in the state.
- e. Creation of Research and Development (R&D) centers and labs for exploring new technology areas through research and standardized existing technologies through certification of RE components like solar PV modules, inverters, solar pumps etc.
- f. Innovation, Incubation and R&D support to the startups working in the field of renewable energy, clean, sustainability and related aspects for solving state centric challenges.
- g. Any other support to the state to facilitate meeting the objectives of this policy.

25.4 Mode of Fund Utilization and Monitoring:-

- a. BREDA will undertake a detailed assessment of the support required for encouraging implementation of targets identified under this policy for implementation of RE projects, skill development, startup promotion etc. and submit the fund requirements for its consideration before the State/central Government for budgetary support or to the Energy Department, Govt. of

Bihar. BHPC will submit the similar proposal for fund requirement for hydro power projects to BRENDA.

- b. Bihar Renewable Energy Development Fund Committee (BREDFC) will approve the required fund to be utilized under different projects. The BREDFC will meet in every quarter to track the progress of fund utilization and take necessary decisions on project approvals. The committee will comprise of following members: -

i.	Secretary /Principal Secretary, Energy	Chairperson
ii.	Director – BRENDA	Member & Convener
iii.	Managing Director – BHPC	Member & Convener
iv.	Managing Director – NBPDCCL or their Representative	Member
v.	Managing Director – SBPDCL or their Representative	Member
vi.	Managing Director – BSPTCL or their Representative	Member
vii.	Managing Director – BSPGCL or their Representative	Member
viii.	Secretary, Department of Industries, Govt. of Bihar	Member
ix.	Secretary, Land, Revenue & Reform Department, or their Representative	Member
x.	P.C.C.F, Forest Department, or its Representative	Member
xi.	Secretary, Water Resource Department, or its Representative	Member
xii.	Secretary, Department of Co-operative, or its Representative	Member

26. **Governance.**—Based on the capacity, different levels for approval of the projects will constitute a Bihar State Technical Approval Committee (SLEC/SLSC/DLSC), the constitution of the committee and their respective role will be as below:

26.1 District Level Screening Committee (DLSC)

- a. For providing required approvals of projects of capacity less than 1 MW at a single location, DLSC will be constituted under the chairmanship of District Magistrate/Deputy Development commissioner (DDC) of the concerned district.
- b. To resolve problems in implementation of this Policy at district level and for promotion and publicity of this policy.
- c. The DLSC will meet at least once in every month to track the progress and take decisions on project approvals and review pendency.
- d. The committee will constitute of the following members:

(i)	District Magistrate/ DDC of the concerned district	Chairperson
(ii)	Superintending Engineer (Distribution), Concerned Circle	Member & Convener
(iii)	Concerned Superintending Engineer (Transmission)	Member & Convener
(iv)	Superintending Engineer (Department of Water Resource), Concerned Division	Member
(v)	Representative, Department of Revenue and Land Reforms	Member
(vi)	General Manager, District Industries Centre (DIC), or their Representative	Member

26.2 State Level Screening Committee (SLSC)

- a. For approvals of projects of capacity of 1 MW and above but less than 50 MW at a single location, a SLSC will be constituted under the chairmanship of Principal Secretary / Secretary, Department of Energy, Govt. of Bihar.
- b. The SLSC will meet at least once in every Bi-monthly to track the progress and take decisions on project approvals and review pendency of all RE projects along with district level projects.
- c. BREDA may submit the progress report of all RE projects to the SLSC on half yearly basis.
- d. The committee will constitute of the following members:

(i)	Secretary /Principal Secretary, Department of Energy	Chairperson
(ii)	Director, BREDA	Member & Convener
(iii)	Managing Director – NBPDC and SBPDCL or their Representative	Member
(iv)	Managing Director – Bihar State Power Transmission Corporation Ltd. (BSPTCL) or their Representative	Member
(v)	Secretary, Department of Revenue and Land Reforms or their Representative	Member
(vi)	Secretary, Department of Industries, or their Representative	Member
(vii)	Principal Chief Conservator of Forests (PCCF), Department of Forest, Environment and Climate Change or their Representative	Member
(viii)	Secretary, Department of Water Resource, or their Representative	Member
(ix)	President BIA or its representative	Member

26.3 State Level Empowered Committee (SLEC)

- a. To resolve key bottlenecks in implementation of this policy and resolve any other Inter departmental issues that may arise from time to time, High level committee will be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary of the State.
- b. For approval of projects equal to 50 MW and above at a single location or to undertake any strategic decision other than approval related to RE targets of the state, a SLEC will be constituted under the chairmanship of the Chief Secretary of the State.
- c. The SLEC will meet quarterly to monitor the progress and take decisions in case of any ambiguity, dispute, difference, or issue in implementation of the policy. BREDA will submit the progress report of all RE projects in the state to the SLEC on half yearly basis.
- d. The committee will constitute of the following members:-

(i)	Chief Secretary – Government of Bihar	Chairperson
(ii)	Secretary /Principal Secretary, Department of Energy	Member & Convener
(iii)	Secretary /Principal Secretary, Department of Planning and Development, GoB	Member
(iv)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Revenue and Land Reforms, GoB	Member
(v)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Environment, Forest & Climate Change, GoB	Member
(vi)	Secretary/ Principal Secretary, Department of Industries, GoB	Member
(vii)	Secretary, Department of Water Resource, GoB	Member
(viii)	Secretary /Principal Secretary, Department of Finance, GoB	Member
(ix)	President, BIA	Member

27. **Review of Policy.**—State Government may undertake review of this policy on yearly basis under the chairmanship of Chief Secretary, Government of Bihar after a period of one year or as and when need arises in view of any technological breakthrough or to remove any inconsistency with Electricity Act 2003, rules and regulations made there under or under any Government of India policy. The policy review committee will comprise of all the relevant departments of this policy. Retrospective amendments to the incentives available under this policy will be avoided for ensuring investor confidence in the State and in the sector.
28. **Relevant Departments.**—All concerned departments and organizations will issue follow up notifications within two months to give effect to the provisions of this policy. The concerned departments are listed below:
- a. Department of Agriculture,
 - b. Department of Animal & Fisheries Resource Department
 - c. Department of Co-operative
 - d. Department of Commercial Taxes
 - e. Department of Energy
 - f. Department of Environment, Forest & Climate Change Department
 - g. Department of Industries
 - h. Department of Mines and Geology
 - i. Department of Planning & Development
 - j. Department of Finance
 - k. Department of Revenue and Land Reforms Department
 - l. Department of Rural Development
 - m. Development of Urban Development & Housing
 - n. Department of Water Resources
 - o. Department of Transport
 - p. State Pollution Control Board
29. **Power to Remove Difficulties.**—If there is any ambiguity, dispute, difference, or issue arises in regard to interpretation/ implementation of this Policy, State Level Empowered Committee may take decision in such matters, not inconsistent with the provisions of the Policy, as may appear to be necessary and expedient for removing the difficulties either on its own or after hearing those parties who have represented for change in any provision.
30. **Implementation Guidelines/Framework.**—BREDA will issue implantation guidelines or framework in consultation with the concerned department for different technology area considering the state centric parameters and applicability. These guidelines or framework will clearly describe the technology area, role, and responsibility of all the stakeholders' involved, targeted capacity and timelines for achieving the same. Following guidelines or framework will be formulated for achieving the objectives of the policy:

S.No.	Guidelines	Release duration (after date of launch of this policy)	Concerned Department
1	Micro-Mini Grid Project Implementation Guidelines	Within 3 months	BREDA, Discoms
2	Guidelines for installation of Rooftop Solar Projects	Within 3 months	BREDA, Discoms
3	Solar Power Projects Implementation Guidelines (Non-Rooftop)	Within 3 months	BREDA, BSPGCL
4	Guidelines for development of Biomass and Waste to Energy/Green Hydrogen Projects	Within 5 months	BREDA
5	Hydel Power Projects Implementation Guidelines	Within 3 months	BHPC

S.No.	Guidelines	Release duration (after date of launch of this policy)	Concerned Department
6	Guidelines for Implementation of Solar Pumps and solarization of agriculture feeders	Within 3 months	BREDA
7	Hybrid RE Projects Implementation Guidelines	Within 6 months	BREDA
8	Fund Management and Renewable Energy Financing Guidelines	Within 3 months	BREDA
9	Guidelines for development of Green Village/City/District	Within 6 months	BREDA
10	Guidelines for Geothermal Project Implementation	Within 6 months	BREDA, BSPGCL
11	Guidelines for development of Pumped Storage Projects	Within 6 months	BSPGCL /BHPC
12	Guidelines for Innovation Hub for challenges/ Novel Technologies and Capacity Building	Within 6 months	BREDA

Note: BREDA being the state nodal agency will develop the above guidelines in consultation with the concerned department, BREDA may engage any additional entity resource/domain experts/consultants (if required) for developing the above guidelines in line with the above timelines. Fund required for this purpose will be borne through Bihar Renewable Energy Development Fund or Energy Department on priority basis.

Order: - Ordered to be publish in the coming extras ordinary issue of Bihar Gazette for information to all.

By the order of Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR SINGH,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1311-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>